# झारखण्ड विधान सभा

## अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
षष्ठम् (मॉनसून)– सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 16 भाद्र, 1943 [श0] / 07 सितम्बर, 2021 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

| क्र0सं0– | विभागों को भेजी गई सां0 संख्या | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06 |
| 'क' 01. | अ0सू0–09 | श्री सरयू राय | जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा | 26.08.2021 |

नोट:– 'क'–01 अ0सू0–09 दिनांक– 06.09.2021 से सदन द्वारा दिनांक– 07.09.2021 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक– 07.09.2021

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0 (प्रश्न)– 01/2021–2046/वि0स0, राँची, दिनांक–06/09/21

प्रति:– झारखण्ड विधान सभा के मा0 सदस्यगण/मा0 मुख्यंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष/मा0 मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शरद सहाय)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची

ज्ञापांक– झा०वि०स० (प्रश्न)– 01/2021–2046/वि०स०, राँची, दिनांक–06/09/21

प्रति:– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के उप सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(शरद सेठी)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची

ज्ञापांक– झा०वि०स० (प्रश्न)– 01/2021–2046/वि०स०, राँची, दिनांक–06/09/21

प्रति:– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाइट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची
06/09/21

सत्यमेव जयते

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम् (मॉनसून) सत्र
अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-01

मंगलवार, दिनांक 16 भाद्र, 1943 (श0) / 07 सितम्बर, 2021 (ई0) को

प्रश्नों की कुल संख्या- 01 (एक)

(1) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग- 01 (एक)

कुलयोग- एक (01)

| श्री सरयू राय | प्रभारी मंत्री |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 में गायिका सुनिधि चौहान को बुलाने का निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक– 09.11.2016 को हुई बैठक में दिया गया, जिसपर उनके वरीय आप्त सचिव ने विभाग को प्रस्ताव दिया कि इस कार्यक्रम पर रू0 44,37,250/– व्यय होगा | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थित– यह है कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक– 09.11.2016 को हुई बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में उनके वरीय आप्त सचिव के माध्यम से Archers Entertainment Private Limited. द्वारा रू0 44,27,500/– (चौवालीस लाख सत्ताईस हजार, पाँच सौ) मात्र पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु भाव पत्र प्राप्त हुआ (Archers Entertainment Private Limited.) से प्राप्त भाव पत्र की (छायाप्रति संलग्न)। |
| 2. क्या यह बात सही है कि सुनिधि चौहान का गायन सूर्यमंदिर समिति, सिदगोड़ा, जमशेदपुर में दिनांक– 06.11.2016 की शाम हुआ था, जिसके संरक्षक तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री थे; | संबंधित नहीं है। |
| 3. क्या यह बात सही है कि राज्य स्थापना समारोह, 2018 में सुनिधि चौहान के कार्यक्रम पर कुल रू0 55,22,281/– व्यय हुआ, जो स्वीकृत व्यय रू0 44,47,500/– से रू0 10,94,781/– अधिक है; | आंशित रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि:– (i)– Archers Entertainment Private Limited. से प्राप्त भाव पत्र के अनुसार रू0 44,27,500/– पर सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम हेतु Archers Entertainment Private Limited. का चयन मानोनयन के आधार पर करते हुए विभागीय पत्रांक– 1423, दिनांक– 11.11.2016 द्वारा उपायुक्त, राँची को रू0 44,27,500/– मात्र पर कार्यक्रम का आयोजन करने, तत्संबंधी राशि का भुगतान करने एवं Archers Entertainment Private Limited. के मुख्य कलाकार एवं सहायक कलाकार के आवासन, भोजनादि एवं वाहन की व्यवस्था होटल रैडिसन ब्लू, राँची में करने का निदेश दिया गया (छायाप्रति संलग्न) (ii)उक्त के आलोक में उपायुक्त, राँची द्वारा Archers Entertainment Private Limited. से प्राप्त भाव पत्र के अनुसार कार्यक्रम हेतु रू0 44,27,500/– मात्र का भुगतान किया गया है। |

कृ0पृ0उ0–

| | |
|---|---|
| | (iii)- Archers Entertainment Private Limited. के मुख्य कलाकार एवं सहायक कलाकार के आवासन एवं भोजनादि पर रू0 2,97,084/-वाहन की व्यवस्था पर रू0 58,525/- तथा उनके एयर टिकट पर रू0 7,42,172/- अर्थात कुल रू0 10,97,791/- (दस लाख, संतानवे हजार, सात सौ एकानबे) मात्र का व्यय हुआ है। अर्थात सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम हेतु कुल रू0 55,25,291/- (पचपन लाख, पच्चीस हजार, दो सौ एक्यानवे) मात्र का भुगतान उपायुक्त, राँची द्वारा किया गया है (उपायुक्त, राँची का पत्रांक-921 (ii)/नजा0, दिनांक- 13.12.2016 की छायाप्रति संलग्न)<br>(iv) कार्योपरांत उपायुक्त एवं सक्षम संस्था/एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर करने के प्रस्ताव, कराये गये विभिन्न कार्यों एवं उनपर व्यय हुई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद् के दिनांक- 28.12.2016 को हुई बैठक में प्रदान की गयी है। |
| 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुनिधि चौहान के दिनांक- 06.11.2016 के जमशेदपुर कार्यक्रम पर हुए व्यय की तुलना में स्थापना दिवस समारोह, 2016 के कार्यक्रम पर अत्यधिक व्यय करने के जिम्मेदार व्यक्ति पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई ली गयी है, नहीं तो क्यों? | वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिका में वर्णित है। |

सुभाष/-

# झारखण्ड विधान सभा

## अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
षष्ठम् (मानसून) सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 16 भाद्र, 1943 (श0) / 07 सितम्बर 2021(ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

| क्रमांक | विभागों को संसूचित की गई सा0 सं0 | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 22 | अ0सू0–30 | श्री बंधु तिर्की, | डंफिंग यार्ड हटाना | खान एवं भूतत्व | 02.09.21 |
| 23 | अ0सू0–09 | सुश्री अम्बा प्रसाद, | रिक्त पदों पर नियुक्ति | वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 26.08.21 |
| 24 | अ0सू0–10 | श्री प्रदीप यादव, | योजना को प्रभावी बनाना | वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 30.0821 |
| 25 | अ0सू0–15 | श्री दीपक बिरूवा, | कर्मियों को वेतनादि का भुगतान | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 30.08.21 |
| 26 | अ0सू0–27 | श्री समरी लाल, | निर्माण कार्य पूर्ण करना | स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण | 02.09.21 |
| 27 | अ0सू0–25 | श्री राजेश कच्छप, | प्रजनन केन्द्र का जीर्णोद्धार | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 02.09.21 |
| 28 | अ0सू0–01 | श्रीमती सीता सोरेन, | निर्माण कार्य पूर्ण करना | स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण | 26.08.21 |
| 29 | अ0सू0–14 | श्री लम्बोदर महतो, | समुचित कार्रवाई कराना | खान एवं भूतत्व | 30.08.21 |
| 30 | अ0सू0–13 | श्री अमर कु0 बाउरी, | ऑक्सीजन प्लांट लगाना | स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण | 30.08.21 |
| 31 | अ0सू0–24 | श्री राजेश कच्छप, | चिकित्सकों को अन्य सभी लाभ देना | स्वा0चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण | 02.09.21 |
| 32 | अ0सू0–21 | श्री बिरंची नारायण, | ऑनलाईन बिक्रय की सुविधा देना | खान एवं भूतत्व | 31.08.21 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33– | अ0सू0–06 | डॉ0 सरफराज अहमद, | बकाया मानदेय का भुगतान | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 26.08.21 |
| 34– | अ0सू0–26 | श्री संजीव सरदार, | भवन का हस्तांतरण | स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण | 02.09.21 |
| 35– | अ0सू0–17 | श्री मथुरा प्रसाद महतो, | बेड की संख्या बढ़ाना | स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण | 30.0821 |
| 36– | अ0सू0–12 | श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, | नक्से को सत्यापित कराना | वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 30.08.21 |
| 37– | अ0सू0–04 | श्री विनोद कुमार सिंह, | स्वास्थ्य केन्द्रों को दुरूस्त कराना | स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण | 26.08.21 |
| 38– | अ0सू0–20 | प्रो0 स्टीफन मराण्डी, | प्रतिनियुक्ति की समीक्षा | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 31.08.21 |
| 39– | अ0सू0–29 | श्रीमती ममता देवी, | म्युजियम एवं पुस्तकालय का निर्माण | पर्यटन,कला संस्कृति खेल–कूद एवं युवा0का0 | 02.09.21 |
| 40– | अ0सू0–02 | श्रीमती सीता सोरेन, | नियमित पढ़ाई शुरू कराना | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 26.08.21 |
| 41– | अ0सू0–11 | श्री प्रदीप यादव, | दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई | स्वा0चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण | 30.08.21 |
| 42– | अ0सू0–03 | श्री राज सिन्हा, | प्रशिक्षकों की सेवा नियमित करना | पर्यटन कला संस्कृति खेल–कूद एवं युवा का. | 26.08.21 |
| 43– | अ0सू0–19 | श्री नलिन सोरेन, | आरक्षण के तहत् प्रोन्नति | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 31.08.21 |
| 44– | अ0सू0–07 | श्री सुदिव्य कुमार, | प्रदूषण को रोकना | वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 26.08.21 |
| 45– | अ0सू0–22 | श्री दुलू महतो, | निदेशक की नियुक्ति | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 31.08.21 |
| 46– | अ0सू0–16 | श्री सरयू राय, | इनकैब श्रमिकों का बकाया भुगतान | उद्योग | 30.08.21 |
| 47– | अ0सू0–28 | श्री दशरथ गागराई, | ग्रेड पे लागु कराना | स्वा0चि0शि0 एवं परि0 कल्याण | 02.09.21 |
| 48– | अ0सू0–23 | डॉ0 लम्बोदर महतो, | नियुक्ति पत्र देना | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 31.08.21 |
| 49– | अ0सू0–08 | श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, | औद्योगिक इकाईयों की जाँच | वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 26.08.21 |
| 50– | अ0सू0–18 | डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता | विद्यालय को पूर्ण रूप से खोलना | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 31.08.21 |

रांची
दिनांक–07 सितम्बर,2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

क्र0पृ0उ0/

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–03/2020–2043/वि0स0,रांची,दिनांक–5/9/21

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

05/09/2021

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–03/2020–2043/वि0स0,रांची,दिनांक–5/9/21

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

05/09/2021

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–03/2020–2043/वि0स0,रांची,दिनांक–5/9/21

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा/जे.भी.एस. टी.भी. शाखा/ऑनलाईन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

05/09/2021

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय/

04.09.21

श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.09.2021 को पूछा जाने वाला अल्प, सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–30

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र के घनी आबादी के मध्य हिंडालको कम्पनी का "डम्पिंग यार्ड" अवस्थित है; | स्वीकारात्मक। कृपया कंडिका–4 द्रष्टव्य। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि हिंडालको कम्पनी द्वारा पर्यावरण एवं नगर परिषद् क्षेत्र अधिनियम का उलंघन कर "डम्पिंग यार्ड" संचालित किया जा रहा है, जिससे घनी आबादी प्रदूषित हो रही है; | झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से संबधित है। पर्षद द्वारा निर्गत CTO की छायाप्रति संलग्न है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र में हिंडालको कम्पनी द्वारा संचालित बॉक्साइट पत्थर से भरा "रोपवे" घनी आबादी के उपर से गुजरने के कारण हमेशा जान–माल का खतरा बना रहता है; | यथा उपरोक्त। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोहरदगा नगर परिषद् की घनी आबादी क्षेत्र से "डम्पिंग यार्ड एवं रोपवे" को अन्यत्र हस्तांतरित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक दिनांक–22.01.2021 में हिण्डाल्को कम्पनी के प्रतिनिधि को वर्तमान डम्पिंग यार्ड को बड़कीचापी में Shift करने के निदेश के आलोक में हिण्डाल्को कम्पनी ने अपने पत्रांक–Ref- HIL/LHD/ SIDING / ADMINLHD/224 दिनांक–03.09.2021 द्वारा सूचित किया है कि डम्पिंग यार्ड को बड़कीचापी में Shift करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न) |

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(अ0सू0)–98 / 2021 1725 / एम0, राँची, दिनांक:– 06/9/21

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2007 दिनांक–02.09.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/9/21
सरकार के उप सचिव

ADITYA BIRLA

(10)

REF: HIL/LHD/SIDING/ADMIN LHD/2224.

Date – 03rd September 2021

To,
The Officer on Special Duty,
Lohardaga, Jharkhand

Sub: Reply of quarry No. 30 of Vidhan Sabha

Ref: Your letter No. 792 dated 03.09.2021 and letter No. 2007 dated 02.09.2021 from Vidhan Sabha Secretariate, Jharkhand

Sir,

With reference to the above subject and Ref. we are hereby submitting our responses regarding quarry raised in the said letters:

1. Yes, Lohardaga siding is located in the populated area of Lohardaga. The siding was in operational since 1948 and covering an area of 31.362 acres. We are paying around Rs. 1 crore rent to the railway per month. Almost we have generated 300 employment for tribal people in and around Lohardaga.
2. No sir, we are taking all precautionary measures to protect the environment. As a group's philosophy, our prime focus is to save and protect the environment. We would like to mention here that, Lohardaga Railway Siding is in operation since 1948 and connected to our Bagru Group of mines through Aerial Ropeway (9.88 Km aerial distance). We used to despatch our entire bauxite from Bagru group of mines to Lohardaga siding via Aerial Ropeway, which is the best eco-friendly transportation system. No truck transportation through road is being done from Bagru group of mines. Thus, we are not creating any environmental pollution in Lohardaga town, instead we are protecting the environment of the surrounding by eco-friendly transportation through aerial ropeway. All unloading infrastructures are readily available at Lohardaga siding and the siding is fully mechanised in nature and also having fully automated system. Moreover, we have also installed Telescopic Chute at Lohardaga siding to arrest the fugitive dust and mitigate sound pollution to protect the environmental pollution. From Telescopic Chute the Bauxite is being discharged to Railway loading point through covered belt conveyor, thus mitigating the generation of fugitive dust and noise which shows our seriousness and dedication towards environment. Apart from Aerial ropeway, Bauxite from other sources is also being despatched to Lohardaga siding through truck transportation covered with tarpaulin to arrest the dust in a safe manner.

   Hindalco is also complying all statutory conditions mentioned in CTO. Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB) and MoEF&CC used to visit our Lohardaga siding regularly to check the compliance status of all conditions. As per CTO condition, we have already planted around 10000 saplings of various species including fruit bearing in the siding premises which has now become dense forest. We have also constructed 10 feet high boundary wall in the

Hindalco Industries Limited
Mines Division, Court Road, Lohardaga 835302, Jharkhand, India
T: +91 6526 224112/224015/223113 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com
Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai-400 093, India
T: +91 22 66917000 | F: +91 22 66917001
Corporate ID No.: L27020MH1958PLC011238

Scanned By Scanner Go

siding and constructed concrete road all along the siding premises as per CTO condition. Water jets have also been installed at the transfer points of ropeway to arrest the release of dust. Water sprinkling is done on daily basis to mitigate the air pollution. JSPCB has also appreciated all our efforts pertaining to the compliances towards protecting the environment.

Regularly, we are monitoring Ambient Air Quality by NABL accredited Lab approved by JSPCB and all the parameters are within the permissible limit (Please see the last 3 years parameters of Ambient Air Monitoring) which clearly shows that the pollution level has not increased throughout the years.

| Parameters | FY-19 (µg/m³) | FY-20 (µg/m³) | FY-21 (µg/m³) | Permissible Limit |
|---|---|---|---|---|
| PM-10 | 57.3-79 | 25.9-75.0 | 24.1-83.2 | 100 µg/m³ |
| PM-2.5 | 31-41 | 31.1-44.0 | 12.8-48 | 60 µg/m³ |
| SOX | 2.9-4.2 | 2.7-4.7 | 2.3-5.7 | 80 µg/m³ |
| NOX | 5.1-5.9 | 2.3-6.6 | 4.9-24.0 | 80 µg/m³ |

As per the new guideline by JSPCB, online analyser of PM-10 has also been installed at Siding which is connected with JSPCB server with real time data. This is also a step towards the environmental protection measures taken at Railway siding.

We have taken all required permissions from different Govt. agencies.

Based on the above facts and figures, it is clearly stated that the pollution level has not been increased at our Lohardaga siding by implementing several protection measures towards environment.

3. No sir, since last 15 years no accident had happened due to ropeway transportation. We believe in responsible and sustainable business practices and always keen to adopt best safety practices. We have installed rope safety cage, limiting switch in our ropeway system. We have already implemented digitalisation in our ropeway system.

4. However, we are planning to shift the Lohardaga siding to Barkichanpi area. We have already identified the required land for constructing of new Railway siding which is located in villages Barkichanpi, dist- Lohardaga. We have planned to construct the new railway siding at Barki chanpi area for loading and unloading of bauxite. The entire bauxite being despatched to Lohardaga siding by truck transportation will be unloaded at the proposed Barkichanpi railway siding whereas, Bauxite being despatched from Bagru Group of mines will continue to transport to Lohardaga siding through aerial ropeway as per the directives given by Central Pollution Control Board (CPCB), New Delhi vide letter No -B-33014/7/2010/PCI-II/complaint/10799 dated 09.02.2015.

Scanned By Scanner Go

Hindalco has given nos. of deliberations to District administration, Lohardaga regarding this new project. Nos. of meetings held with Railway officials for the new project and they have also shown their interest. Bidhan Sabha team also inspected our Lohardaga siding and were told that the new siding will be constructed at Barki Champi area. They also convinced with our proposal. The bauxite transporting through trucks from other mines except Bagru group of mines will be shifted and unloaded in a separate railway siding. However, we are in an advanced stage for shifting Lohardaga siding to Barki Champi area. It may complete by March, 2022.

Thanking You,

For Hindalco Industries Ltd.

General Manager – Operations

Scanned By Scanner Go

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.09.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–09 का उत्तर :–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1– क्या यह बात सही है कि राज्य का करीब 30% क्षेत्र वन क्षेत्र है तथा इसे संरक्षित करने और बढ़ाने में एसीएफ, रेंज ऑफिसर, वनपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, | स्वीकारात्मक। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.62% (लगभग 30%) भू–भाग वन भूमि है। इनके संरक्षण एवं संवर्द्धन में अन्य वन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ ये इंगित वन पदाधिकारी भी अपनी भूमिका का निर्वाह करते है। |
| 2– क्या यह बात सही है कि उक्त पदों पर पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से एक बार भी नियुक्ति नहीं हुई, | स्वीकारात्मक। सीधी नियुक्ति नहीं हुई है। परन्तु प्रोन्नति से समय–समय पर नियुक्तियाँ हुई है। |
| 3– क्या यह बात सही है कि उक्त पदों पर भारी रिक्तियां है, रेंज ऑफिसर 3–4 रेंज तक के अतिरिक्त प्रभार में हैं, जिलों में लगभग नगण्य वनपाल है तथा 2–3 वर्ष में लगभग सभी रेंज ऑफिसर रिटायर हो जाएंगे और ऐसे में हमारे वनों का संरक्षण और विकास विकट रूप से प्रभावित होगा, | स्वीकारात्मक। इन तीनों संवर्गों में सम्प्रति काफी रिक्तियाँ हैं। भविष्य में कुछ और सेवानिवृतियाँ भी होगी। |
| 4– यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिक्त पड़े खंड–1 में वर्णित पदों पर इसी वर्ष नियुक्ति कर बेरोजगारों को रोजगार देने तथा वन संपदा का संरक्षण एवं विकास सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ? | इन पदों पर नियुक्ति का विषय प्रक्रियाधीन है। |

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न–119/2021– 2570 व0प0, राँची, दिनांक– 06.09.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1789 दिनांक–26.08.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–07.09.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–10 का उत्तर :–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1– क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री वन–जन योजना संचालित है, | स्वीकारात्मक। |
| 2– क्या यह बात सही है कि अबतक सही प्रचार–प्रसार के अभाव में राज्य के सभी प्रखण्डों के स्तर तक इस योजना का लाभ कृषकों को नहीं मिल पाया है, और न ही विभाग द्वारा यह विवरण जारी किया गया है, कि अब तक कुल कितने प्रखण्डों में कितने किसानों को उपरोक्त योजना का लाभ मिल पाया है, | अस्वीकारात्मक।<br>योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रचार–प्रसार हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।<br>इस योजना का प्रारंभ 2016–17 में हुआ था। तब से इसका प्रचार–प्रसार 24 नोडल वन प्रमंडल पदाधिकारियों के द्वारा वन समितियों तथा कृषकों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। राज्य स्तर पर समाचार पत्रों, F.M. तथा फिल्मों के जरिए भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक 24 जिलों में लाभुकों द्वारा इसका फायदा उठाया गया है, जो निम्नवत् है :–<br><br>वित्तीय वर्ष \| लाभुकों की संख्या \| पौधों की संख्या<br>2016–17 \| 555 \| 332029<br>2017–18 \| 275 \| 140270<br>2018–19 \| 489 \| 428730<br>2019–20 \| 658 \| 761590<br>2020–21 \| 526 \| 506545 |
| 3– क्या यह बात सही है कि लाल चंदन का वृक्षारोपण एवं उसके बिक्री हेतु नियम बनाया गया है, | लाल चंदन के वृक्षारोपण एवं बिक्री हेतु अलग से नियम नहीं बनाये गये हैं। झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रावधान अंतर्गत लाल चंदन भी सम्मिलित है। |
| 4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु ठोस कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न–124/2021– 2574 व०प०, राँची, दिनांक–06.09.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1910 दिनांक–30.08.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6-9-21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

25

1643
05/09/2023

श्री दीपक बिरुवा, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०– 15
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि 1984–85 के प्रोजेक्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए पत्रांक– 142 दिनांक 04.02.1989 द्वारा आदेश निर्गत किया गया था, | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पत्रांक 142 दिनांक 04.02.1989 द्वारा वर्ष 1984–85 चरण के परियोजना विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतन भुगतान के प्रक्रिया एवं नीति निर्धारण किया गया है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S). सं०–921/2011, दिनांक 05.09.2018 के न्याय निर्णय के तहत् उपर्युक्त विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था, | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न में उल्लिखित वाद के साथ–साथ इस तरह के कुल 226 वादों में दिनांक 05.09.2018 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है –<br><br>"Under the aforesaid facts and circumstances, considering the each and every aspects of the matter, I hereby direct the respondent-State particularly, Principal Secretary, School Education and Literacy Department, Govt. of Jharkhand, Ranchi to consider the cases of the petitioners taking into account the aforesaid observations and directions Further, instead of quashing the entire resolution, I hereby direct the Principal Secretary of the School Education and Literacy Department, Govt. of Jharkhand, Ranchi to come-out with a corrigendum, taking into consideration para-18 of the judgment passed in this case and take all necessary steps for consideration of left over cases of the teaching and non-teaching staff of the Project Girls' High School for their regularization and absorptions and also for payment of their salary with all consequential benefits. Taking stock of the suffering of the teachers and other non-teaching staff who have worked for almost 30 years without any salary, the respondents are directed to complete the entire exercise within a period of two months from the date of receipt/ production of a copy of this order." |
| 3. | क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त निदेश एवं न्याय निर्णय निर्गत होने के बावजूद नियुक्ति से अबतक वेतन भुगतान हेतु कोई कार्रवाई नहीं ली गई, जिससे कई शिक्षक/कर्मी सेवानिवृत्त हो गये तथा कई सेवानिवृत्त होने के कगार पर है, | वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में 143 एल.पी.ए. दायर किया है, जिस कारण से न्यायादेश का अनुपालन नहीं किया जा सका है।<br><br>न्यायादेश निर्गत होने के पूर्व राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर संकल्प संख्या 1272 दिनांक 25.04.2018 निर्गत किया है तथा इस संकल्प की नीति के तहत् जो कर्मी आच्छादित हो रहे हैं, उनकी सेवा की मान्यता दी जा रही है। संकल्प निर्गत होने की तिथि दिनांक 25.04.2018 के उपरान्त |

| | | |
|---|---|---|
| | | कुल 48 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को मान्यता दी गयी है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त न्याय निर्णय के आलोक में प्रोजेक्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मियों वेतनादि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | इस खण्ड का उत्तर खण्ड-03 में सन्निहित है। |

05.09.21

सरकार के अवर सचिव।

## झारखण्ड सरकार
### स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–120/2021 1643 राँची, दिनांक 05/09/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.09.21

सरकार के अवर सचिव।

श्री समरी लाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 07.09.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–27 का उत्तर प्रतिवेदन।

| प्रश्न | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि रिम्स के पास विगत 10 वर्षों से Eye Hospital का कार्य चल रहा है, जो राज्य के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण नेत्र चिकित्सालय साबित होगा; | रिम्स, राँची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का निर्माण कार्य दिनांक 23.06.2014 को प्रारंभ हुआ है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि नेत्र चिकित्सालय के कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण राज्य की जनता इसके लाभ से वंचित है; | आंशिक स्वीकारात्मक। रिम्स, राँची में पूर्व से नेत्र विभाग क्रियाशील है, जहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुरुप मरीजों का समुचित ईलाज किया जाता है। |
| 3. क्या यह बात सही है कि इस नेत्र चिकित्सालय के निर्माण में अब तक करोड़ो रुपये व्यय किये जा चुके हैं और शेष निर्माण हेतु विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है; | रिम्स, राँची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का कार्य 80% पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। |
| 4. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस नेत्र चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए चिकित्सा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ? | उपर्यक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 370 (11) दिनांक– 6.9.2021

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, के ज्ञाप सं0प्र0 1998/वि0स0 दिनांक 02.09.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में प्रेषित।

6.9.21

सरकार के अवर सचिव

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–07.09.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–25 का उत्तर।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1.क्या यह बात सही है कि राँची जिला के ओरमांझी प्रखण्ड के भैरवी नदी पहाडी के तलहटी में मुटा प्रजजन केन्द्र पचास वर्ष पूर्व से अस्तित्व में है, जिसमें लगभग 30 स्थानीय ग्रामीण दैनिक मजदूर के रूप मे नियोजित थे, | अस्वीकारात्मक।<br>यह केन्द्र एक विशिष्ट उद्देश्य अर्थात मगर प्रजनन हेतु स्थापित किया गया था, जो दिनांक–06.04.2018 तक अस्तित्व में था। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी, जिसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बंद करने का आदेश वर्ष 2017 में दिया था। |
| 2.क्या यह बात सही है कि मुटा प्रजनन केन्द्र मगरमच्छों के प्रजनन हेतु स्वतंत्र प्रकृति प्रदत्त, खनिज लवण से भरपूर योग्य स्थल है, | अस्वीकारात्मक।<br>उक्त मगर प्रजनन केन्द्र captive प्रजनन के लिये प्रारंभ किया गया था। इसे स्वतंत्र प्रकृति प्रदत्त कहने का प्रश्न नहीं उठता है। |
| 3.क्या यह बात सही है कि वर्तमान में पदस्थापित रेंजर के अदूरदर्शिता के कारण करोड़ों रूपये खर्च के बाद भी मुटा प्रजनन केन्द्र आज अपनी बदहाली की चरम सीमा पर है, | अस्वीकारात्मक।<br>चूँकि मुटा प्रजनन केन्द्र एक प्रक्षेत्र का नाम है। अतः यद्यपि केन्द्र दिनांक–06.04.2018 से बंद हो गया, तथापि इस प्रक्षेत्र में वन क्षेत्र पदाधिकारी की पदस्थापना होती है।<br>श्री संजय कुमार रजक दिनांक–20.06.2018 से इस प्रक्षेत्र के प्रभार में हैं, जबकि प्रजनन केन्द्र दिनांक–06.04.2018 से ही केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) के निदेश के आलोक में कार्यरत नहीं है। |
| 4.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने एवं किये गए स्थानीय दैनिक मजदूर को नियोजित कराने के साथ मुटा प्रजनन केन्द्र का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ? | मुटा प्रजनन केन्द्र Captive breeding के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण इसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। |

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि०स० अल्पसूचित प्रश्न–130/2021– 2567 व०प०, दिनांक– 06-09-2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2001, दिनांक–02.09.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

**श्रीमती सीता सोरेन, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 07.09.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0– 01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–<br>1. क्या यह बात सही है कि चाईबासा के उलिझारी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जिसका शिलान्यास भी किया जा चुका है. | स्वीकारात्मक। |
| 2. क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार झारखण्ड राज्य भवन निर्माण (निगम) के अधीन मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है परन्तु इस कार्य की जिम्मेदारी कोलकाता की सिम्पलेक्स इन्फास्ट्रचर लिमिटेड को सौंपी गयी है जिसका निर्माण कार्य बन्द है. | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>लॉकडाउन के समय निर्माण कार्य बंद था। अब कार्य प्रगति पर है। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 30 माह में पूरा होनेवाले इस निर्माण कार्य को जल्द पूरा कर मेडिकल कॉलेज शुरू करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | निर्माण कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–9/विधायी/06–16/2021 – 408(3) स्वा0, राँची, दिनांक: 3/9/21

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 1785/वि0स0, दिनांक–26.08.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.9.21
अवर सचिव।

डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.09.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–14

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में डीएमएफटी योजना के तहत लगभग 2000 करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि अव्यहृत पड़ी है, जिसके विरूद्ध विकास योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हो पा रही है; | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड में अबतक DMFT कोष में लगभग 7,288 करोड़ रूपये की संग्रहित राशि में से 4,994 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत करने की सूचना है (अनुलग्नक–I)। DMFT Rules, 2016 एवं PMKKKY गाईडलाईन के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाएँ प्रबंधकीय समिति की बैठक की अनुशंसा के पश्चात जिलास्तरीय शासी परिषद से अनुमोदन का प्रावधान है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत कई जिलों में कोविड–19 महामारी में बचाव के लिए नियमानुकूल टेंडर न करके कोटेशन के आधार पर 100 करोड़ से अधिक राशि की वित्तीय अनियमितता बरती गई तथा कोयला खनन प्रभावित क्षेत्र से बाहर राशि व्यय की गई है; | उत्तर अस्वीकारात्मक है। कोविड–19 महामारी के बचाव के लिए निम्नलिखित निदेश प्राप्त है:–<br>1. खान मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–7/2/2020 –MIV दिनांक–28.03.2020 (अनुलग्नक–II)<br>2. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–1560 दिनांक–09.06.2020 (अनुलग्नक–III)।<br>3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पत्रांक–371864, दिनांक–22.06.2020) (अनुलग्नक–IV) |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त बिन्दुओं की जाँच कराकर समुचित कार्रवाई करना चाहती है हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ? | उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(अ0सू0)–91/2021 1730 /एम0, राँची, दिनांक:– 06.09.2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1905 दिनांक–30.08.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/9/21
सरकार के उप सचिव

(53)

सुशील कुमार, भा.प्र.से.
सचिव
Sushil Kumar, I.A.S.
Secretary

To call DCs / PMO.

Government of India / भारत सरकार
Ministry of Mines / खान मंत्रालय
Tel. : 2338 2814 / 2338 6173
Fax : 2338-0082
E-mail : secy-mines@nic.in
Website : www.mines.gov.in

DO No.7/2/2020-MIV
Dated 28th March 2020

Sub: One-time relaxation in utilization of District Mineral Foundation (DMF) funds for purchase/installation of testing, screening and other equipment/s in connection with COVID-19

Dear Madam/Sir,

As you are well aware, the Central Government has taken various measures to combat the threat posed by the COVID- 19 pandemic. The Hon'ble Prime Minister has announced a nationwide lock down for 21 days and also earmarked Rs 15000 crore for healthcare amongst other measures. Further, the Hon'ble FM has announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana with Rs 1.7 Lakh core outlay on 26.03.2020. One of the components of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana is the utilization of the funds collected under the District Mineral Foundation for medical interventions required for testing and treating the patients affected by COVID-19 pandemic with the aim to supplement the efforts of district administration to curtail the spread of this deadly virus.

2. The Central Government in exercise of the powers conferred under Section 20 A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 directed the concerned State Governments to incorporate the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY ) guidelines into the rules framed by respective State Governments for District Mineral Foundation. The guidelines for implementation of the PMKKKY were circulated vide this Ministry order dated 16th September 2015.

3. Now, in exercise of the powers conferred under Section 20 A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act ,1957 read with emergent national interest to combat the COVID-19 pandemic, the following additional instructions are hereby issued for implementation of the projects under PMKKKY by utilizing the funds collected under District Mineral Foundation (DMF). These instructions will supplement the already issued guidelines dated 16th December, 2015 by Ministry on this matter.

4. The State Government may utilize the funds available under DMF for supplementing and augmenting facilities of medical testing, screening and other requirements in connection with preventing the spread of COVID- 19 pandemic as well as for treating the patients affected with COVID-19 pandemic subject to various instructions issued in this regard by Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India.

कमरा नं. 326, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110 001
Room No. 326, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001

5. Utilisation of DMF fund as per the above relaxation is subject to the following conditions:

a. It is to be ensured that the expenditure related to COVID- 19 does not exceed thirty (30) percent of the balance funds available with DMF.

b. Funds can be utilized for purchase/installation of necessary medical equipment/s or creation of medical infrastructure as per the guidelines of Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare in those districts with at least a minimum of one COVID-19 positive patient.

c. In all the districts, funds can be used for purchase of face masks, soaps, sanitizers, and food distribution for poor people if other available funds are not sufficient as certified by the district magistrate.

d. Technical configuration and specification of the equipment/s for COVID- 19 being purchased/installed shall be as per the laid down policies and guidelines of M/o Health and Family Welfare for COVID- 19 and other extant instructions.

e. Due processes and procedure shall be followed by district administration while undertaking the purchase/installation of the equipment/s.

f. It shall be the responsibility of the District Authority to conduct the mandatory audit into the purchase//installation of the protective equipment in connection with COVID-19 under DMF as and when it deems appropriate and feasible.

g. Extant rules, regulations and codal provisions applicable for DMF are to be followed for any expenditure done to prevent the spread of COVID-19 pandemic.

6. You are requested to direct the concerned authorities to take immediate measures for implementation of the above guidelines.

With regards,

Yours Sincerely,

28/5/20

(Sushil Kumar)

Chief Secretary, All State Governments

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
खान निदेशालय

519 /खनि, दिनांक- 30/06/2020

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि - सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, खनि

पत्र संख्या–05/रा०आ०गो०मि०(JSLPS-Covid-19)–18/2020– 1560(अ०)

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

प्रेषक,

सरकार के सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
आपदा प्रबंधन प्रभाग,
खान एवं भूतत्व विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 09/06/2020

विषय : जून माह में मुख्यमंत्री दीदी किचन के संचालन हेतु District Mineral Foundation Fund में उपलब्ध निधि का उपयोग करने के संबंध में।

प्रसंग: Secretary, Ministry of Mines, Govt. of India का अर्द्धसरकारी पत्रांक–7/2/2020-MIV, दिनांक 28.3.2020 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों से [illegible] राज्य के सभी जिलों में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से [illegible] दीदी किचन का संचालन किया जा रहा है। कतिपय कारणों से 31.05.2020 के पश्चात् इस [illegible] श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निधि उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त [illegible] स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने हेतु इन किचन का संचालन [illegible] निधि उपलब्ध कराने हेतु अन्य विकल्पों पर विचार [illegible] निम्न निर्णय लिये गये हैं।

[illegible] खान मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक–7/2/2020-MIV [illegible] की कंडिका–5(c) में अंकित है कि "In all the districts, funds [illegible] purchase of face masks, soaps, sanitizers and food distribution for poor people [illegible] available funds are not sufficient as certified by the district magistrate."

[illegible] खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–7/2/2020-MIV, [illegible] विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०–2435/एम० दिनांक–24.11. [illegible] दिनांक–22.03.2016, अधिसूचना सं०–357/एम० दिनांक–03.02.2017, [illegible] 04.2016 अधिसूचना सं०–108/एम० दिनांक–13.01.2017 का [illegible] माह में मुख्यमंत्री दीदी किचन के संचालन हेतु District Mineral [illegible] किया जाय।

4. उक्त कार्य हेतु DMFT न्यास परिषद्/प्रबंधकीय समिति द्वारा जिले में रोपी किशन की संख्या, लाभुकों की सूची एवं संख्या तथा उक्त कार्य हेतु व्यय का निर्धारण किया जाएगा। प्रति लाभुक प्रतिदिन अधिकतम व्यय 12.00 रूपये मात्र अनुमान्य होगा तथा जिला में संचालित किशन की संख्या दिनांक 31.05.2020 को संचालित किशन की संख्या से अधिक नहीं होगी।

5. यदि उक्त कार्य हेतु किसी कारणवश किसी जिले में District Mineral Foundation अन्तर्गत उपर्युक्त राशि उपलब्ध नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में 14वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि का इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उपयोग संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय के अर्द्धसरकारी पत्रांक–11011/9/2016-FD दिनांक–15.04.2020 के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है।

*अनु०–यथोक्त।*

विश्वासभाजन,

(अबुबक्कर सिद्दीक पी०),
सरकार के सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग।

(अमिताभ कौशल),
सरकार के सचिव,
आपदा प्रबंधन प्रभाग।

(आराधना पटनायक),
सरकार के सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक– 1560 (अनु०) राँची/दिनांक– 09/06/2020

प्रतिलिपि–सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमिताभ कौशल),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1560 (अनु०) राँची/दिनांक– 09/06/2020

प्रतिलिपि– उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमिताभ कौशल),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1560 (अनु०) राँची/दिनांक– 09/06/2020

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमिताभ कौशल),
सरकार के सचिव।

नरेन्द्र नाथ सिन्हा, आई ए एस
NARENDRA NATH SINHA, IAS
SECRETARY

Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi
Tel: 91-11-23382230, 23384630
Fax: 011 23382408
E-mail: secy@...

D.O. No. J-11060/24/2020-RE-III (371864) June 22, 2020

**Sub: Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan-reg.**

Dear Chief Secretary,

You are aware that Hon'ble PM launched "Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan" of 125 days, on 20th June, 2020 with a focus on 25 works and a resource envelop of Rs. 50,000 crore, for the returnee migrant workers and similarly affected rural citizens due to COVID-19 pandemic.

2. This Abhiyaan has been formulated for 116 Districts across six States namely, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand and Odisha (list enclosed). This complements your State's own efforts towards mapping of their skills, addressing their immediate needs and jobs.

3. The Abhiyaan is a convergent effort of 12 different Ministries/Departments of Government of India, namely, Rural Development; Panchayati Raj; Road Transport & Highways; Mines; Drinking Water & Sanitation; Environment, Forest and Climate Change; Railways; Petroleum & Natural Gas; New & Renewable Energy; Defence; Telecommunication and Agriculture Research & Education to expedite implementation of 25 public infrastructure works and works relating to augmentation of livelihood opportunities. I have already shared some details through my DO letter of 18th June 2020, while inviting you to the Launch Ceremony.

4 The objectives of the Abhiyaan are:-

a) Provide livelihood opportunities to returning migrants and similarly affected rural citizens

b) Saturate villages with public infrastructure and create livelihood assets viz. Roads, Housing, Anganwadi centre, Panchayat Bhawans, Horticulture, water conservation and harvesting works, and Community Sanitary Complexes among others.

c) The Program will also prepare for expansion and development of livelihoods over a longer term

Contd...../-

5. Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan intends to achieve those goals through pooling of diverse sources of funds for public works and activities in an extraordinarily short period of time. Accordingly, this will require meticulous planning & selection of works, mobilization of men and material, faster administrative decisions, willing community involvement and highest order participation of the local population. Hence, there is a need to forge an effective partnership of Local, State and Central Governments, with day-to-day monitoring, constant dialogue and complete involvement of all levels of Government. For addressing this mammoth public management challenge, I seek your cooperation, leadership and guidance.

6. Achieving the above in a short period of time would require a very effective and systematic monitoring of progress made in these Districts. Accordingly, we have developed a portal for the same which has Dashboard for District & States as well. Government of India will depute Central Nodal Officers to monitor the progress of the Schemes of all 25 works in close coordination with the States and facilitating dialogue at all levels for resolving issues of implementation.

7 Simultaneously, the State Government would need to put in place an effective monitoring arrangement of the selected Districts. To coordinate this effort at the State level, the State Governments may like to nominte ACS/Pr.Secretary Rural Development as the "Nodal Officer" for the State and may also deploy senior officers to ensure the success of this Abhiyaan. You may like to constitute a mechanism for coordination among the State counterpart Departments.

8 The Deputy Commissioners/District Magistrates/Collectors of these districts will definitely play a very important role along with Zila Parishad Chairman, District Panchayat Heads, Block Pramukhs, Panchayat Samiti, Sarpanch/Pramukh/Pradhan of Gram Panchayat and PRI leadership and other district/block level officers. Effective communication and coordination arrangements would need to be developed connecting various levels too

9 The willing cooperation of community institutions such as PRIs, SHG networks as well as the elected representatives is extremely important for engaging with citizens, therefore their involvement, sharing of progress with them and overall architecture and philosophy of the Abhiyaan would need to explained and emphasized.

10 Media plays an important role, not only in disseminating the message of the campaign to the targeted people, but also provides useful feedback. Accordingly, I request you to consider engaging with all forms of Media including Social Media and sharing information about the campaign.

Contd...../-

(47)



11. I request you to kindly convene a meeting of all concerned at your level at the earliest to make this Abhiyaan a success. You may need to issue directives at your level on all the relevant aspects for making this Campaign a success.

12. As Nodal Department for Garib Kalyan Rojgar Yojna, I assure you full cooperation from all Government of India Ministries / Departments participating in this Abhiyan. Sh. Rohit Kumar, Joint Secretary (RE) of my Ministry (e-mail id: [illegible]@gov.in) has been nominated as the "Central Coordinator" for this Abhiyaan to coordinate with all the Union Ministries/Departments and the State Governments.

I request you to provide the leadership to the Abhiyaan in your State for its success and fulfill PM's promise to migrant citizens.

With warm regards,

Yours sincerely,

(Nagendra Nath Sinha)

Encl.: as above.

Chief Secretaries of Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha

**Copy to:** Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries of Rural Development, Panchayati Raj Departments and Resident Commissioners of Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha.

**Copy also to:** Secretaries to Government of India of Participating Ministries/Departments

Copy for information to:

1. Principal Secretary to Hon'ble Prime Minister
2. Cabinet Secretary
3. Advisor to Hon'ble Prime Minister

## DMFT Paid in Major and Minor Mineral up to JULY 2021

| | | | | | | (Figure in Rs.) | (Figure in Crs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl. No. | Name of District | Coal | Non Coal | Coal + Non Coal | Minor Mineral | Total of Major + Minor Mineral | DMF Collection |
| 1 | Dhanbad | 18367344000 | 0 | 18367344000 | 111033000 | 18478377000 | 1847.8 |
| 2 | Ramgarh | 8099345000 | 0 | 8099345000 | 34590000 | 8133935000 | 813.4 |
| 3 | Chatra | 8916113000 | 0 | 8916113000 | 77325000 | 8993438000 | 899.3 |
| 4 | Bokaro | 6469191000 | 0 | 6469191000 | 81086000 | 6550277000 | 655.0 |
| 5 | Godda | 4508222000 | 0 | 4508222000 | 24271935 | 4532493935 | 453.2 |
| 6 | Hazaribagh | 3292843465 | 0 | 3292843465 | 32461403 | 3325304868 | 332.5 |
| 7 | Deoghar | 984095000 | 0 | 984095000 | 77762000 | 1061857000 | 106.2 |
| 8 | Ranchi | 908110000 | 0 | 908110000 | 106331000 | 1014441000 | 101.4 |
| 9 | Latehar | 802158602 | 14372431 | 816531033 | 19544859 | 836075892 | 83.6 |
| 10 | Giridih | 155267000 | 0 | 155267000 | 149816000 | 305083000 | 30.5 |
| 11 | Palamu | 59086000 | 676150 | 59762150 | 443291000 | 503053150 | 50.3 |
| 12 | Pakur | 519814963 | 0 | 519814963 | 760686402 | 1280501365 | 128.1 |
| 13 | Chaibasa | 0 | 14966943000 | 14966943000 | 87356799 | 15054299799 | 1505.4 |
| 14 | Gumla | 0 | 404115000 | 404115000 | 130957000 | 535072000 | 53.5 |
| 15 | Jamshedpur | 0 | 564005000 | 564005000 | 207497000 | 771502000 | 77.2 |
| 16 | Lohardaga | 0 | 224053725 | 224053725 | 10008751 | 234062476 | 23.4 |
| 17 | Saraikella | 0 | 7508000 | 7508000 | 118880000 | 126388000 | 12.6 |
| 18 | Koderma | 0 | 0 | 0 | 45184771 | 45184771 | 4.5 |
| 19 | Garhwa | 0 | 0 | 0 | 26950528 | 26950528 | 2.7 |
| 20 | Khunti | 0 | 0 | 0 | 55509223 | 55509223 | 5.6 |
| 21 | Simdega | 0 | 0 | 0 | 62990000 | 62990000 | 6.3 |
| 22 | Jamtara | 0 | 0 | 0 | 40514000 | 40514000 | 4.1 |
| 23 | Dumka | 0 | 0 | 0 | 195957000 | 195957000 | 19.6 |
| 24 | Sahebganj | 0 | 0 | 0 | 724482871 | 724482871 | 72.4 |
| Total | | 53081590030 | 16181673306 | 69263263336 | 3624486542 | 72887749878 | 7288.8 |
| Total (in Crs.) | | 5308.2 | 1618.2 | 6926.3 | 362.4 | 7288.8 | |

OF CONTRIBUTION IN DMFT FUND (Up to July, 2021) (Major Minerals - Coal)

| Name of District | Demand | | | | | | | | Fund | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible]

OF CONTRIBUTION IN DMFT FUND (Up to July, 2021) (Major Minerals - Non Coal)

(Amount in Rs.)

| Name of District | Demand | | | | | | | | Paid | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 35,36,461 | 41,99,364 | 42,12,384 | 2,71,078 | 32,760 | 2,77,761 | | 13,12,183 | 41,12,327 | 42,06,018 | 42,12,384 | 2,71,078 | 32,760 | 2,77,761 | | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 1,28,000 | 1,80,000 | 75,000 | 88,700 | 1,81,800 | | | 49,700 | 1,19,000 | 1,03,000 | 75,000 | 88,700 | 1,81,800 | | | 9,90,100 | 9,79,100 |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | - | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | - | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | (1.00) | 8.95 | 170.41 | 196.58 | 361.77 | 374.38 | 328.11 | | 93.31 | 8.95 | 170.41 | 196.58 | 361.77 | 374.38 | 328.11 | 330.98 | 2,120.19 | 2,118.17 |

'ATUS OF CONTRIBUTION IN DMFT FUND (Up to July, 2021) (Minor Minerals)

| S. No. | District | Name of Mineral | Financial Year 2016-17 | | Financial Year 2017-18 | | Financial Year 2018-19 | | Financial Year 2019-20 | | Financial Year 2020-21 | | Financial Year 2021-22 | | Payble DMFT | Paid DMFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Payble DMFT | Paid DMFT | Payble DMFT | Paid DMFT | Payble DMFT | Paid DMFT | Payble DMFT | Paid DMFT | Payble DMFT | Paid DMFT | Payble DMFT | Paid DMFT | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Dhanbad | Stone/Sand | 22,83,000 | 22,84,000 | 126,34,000 | 126,34,000 | 202,83,000 | 202,83,000 | 295,20,000 | 295,70,000 | 277,40,000 | 307,22,000 | 124,80,000 | 355,41,000 | 1045,70,000 | 1110,33,000 |
| 2 | Ramgarh | Stone | 28,23,000 | 28,23,000 | 23,22,000 | 23,22,000 | 43,68,000 | 43,68,000 | 71,10,000 | 53,08,000 | 33,39,000 | 33,39,000 | 6,93,000 | 6,93,000 | 354,00,000 | 345,90,000 |
| | | Sand | 2,52,000 | 2,63,000 | 2,69,000 | 2,69,000 | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | Works Deptt | | | | | | | 108,97,000 | 103,97,000 | 34,64,000 | 34,64,000 | 3,71,000 | 3,71,000 | 773,25,000 | 773,25,000 |
| 3 | Chatra | Stone | 14,63,000 | 14,63,000 | 114,33,000 | 114,33,000 | 81,13,000 | 81,13,000 | 205,17,000 | 205,61,000 | 311,95,000 | 311,95,000 | 45,61,000 | 45,61,000 | 418,12,000 | 810,66,000 |
| | | Stone | 58,39,000 | 58,08,000 | 79,10,000 | 79,10,000 | 112,79,000 | 112,79,000 | 136,52,000 | 136,52,000 | 169,13,000 | 169,13,000 | 26,97,000 | 10,97,000 | | |
| 4 | Bokaro | Brick | 6,11,000 | - | 5,41,000 | 2,00,000 | 2,53,000 | 2,53,000 | 5,47,000 | 4,81,000 | 108,01,000 | 108,01,000 | 32,000 | 32,000 | | |
| | | Sand | 4,63,000 | 4,63,000 | 6,07,000 | 6,07,000 | 2,19,000 | 2,19,000 | 28,000 | 28,000 | 91,000 | 91,000 | | | | |
| | | Others | | | | | | | | | 3,70,000 | 3,70,000 | 89,000 | 89,000 | | |
| 5 | Godda | Stone | 3,45,295 | 3,45,295 | 23,01,582 | 22,02,582 | 32,32,189 | 32,32,189 | 86,00,451 | 68,00,451 | 73,08,815 | 69,00,451 | 19,88,335 | 18,99,335 | 248,06,945 | 242,73,935 |
| | | Sand | 3,28,346 | 3,03,846 | 16,21,474 | 15,71,474 | 3,12,667 | 4,32,667 | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | Hazaribagh | Stone | 7,24,049 | 1,18,816 | 89,45,256 | 49,40,016 | 63,45,992 | 50,69,863 | 43,93,499 | 44,68,993 | 28,11,033 | 41,05,613 | | 9,92,819 | 562,50,735 | 227,11,996 |
| | | Sand | | | | | | 4,58,515 | | 18,237 | | 21,003 | | | | |
| | | Brick | | | | | | | | 48,890 | | 4,27,400 | | 32,430 | | |
| | | Others | | | | | | | | | | 85,23,109 | | 12,26,364 | | |
| 7 | Deoghar | Stone | - | | 96,46,000 | 96,46,000 | 115,87,000 | 135,07,000 | 193,05,000 | 193,93,000 | 330,03,000 | 330,03,000 | 23,80,000 | 45,36,000 | 758,09,000 | 777,02,000 |
| 8 | Ranchi | Stone | 20,22,000 | 7,02,000 | 134,77,000 | 104,01,000 | 235,49,000 | 186,48,000 | 243,03,000 | 243,83,000 | 431,58,000 | 431,58,000 | 108,84,000 | 108,84,000 | 1082,33,000 | 1082,33,000 |
| 9 | Latehar | Stone, Marble | 3,26,291 | 3,26,291 | 14,58,109 | 14,58,109 | 92,64,571 | 92,64,571 | 48,01,078 | 48,01,078 | 80,39,721 | 80,39,721 | 18,54,189 | 18,54,189 | 195,44,859 | 195,44,859 |
| 10 | Giridih | Stone | 34,08,000 | 34,08,000 | 87,01,000 | 87,00,000 | 197,40,000 | 197,40,000 | 631,93,000 | 631,93,000 | 373,04,000 | 373,04,000 | 178,11,000 | 178,11,000 | 1498,11,000 | 1498,11,000 |
| 11 | Palamu | Stone | 87,81,000 | 80,78,000 | 985,73,000 | 925,67,000 | 892,59,000 | 757,06,000 | 1066,72,000 | 1066,72,000 | 1339,55,000 | 1338,53,000 | 413,11,000 | 413,11,000 | 4795,64,000 | 4413,91,000 |
| 12 | Pakur | Stone | 77,48,140 | 77,48,140 | 869,34,046 | 869,34,046 | 1511,32,474 | 1511,32,474 | 1970,29,285 | 1970,29,285 | 2497,19,221 | 2497,19,221 | 681,23,236 | 681,23,236 | 7006,86,402 | 7006,86,402 |
| 13 | Chaibasa | Consolidated minor mineral | | | 90,78,853 | 90,78,853 | 124,29,584 | 124,29,584 | 135,47,373 | 135,47,373 | 379,08,870 | 379,08,870 | 143,92,119 | 143,92,119 | 873,56,799 | 873,56,799 |
| 14 | Sumka | Stone | - | - | 863,10,000 | 862,10,000 | 188,07,000 | 188,07,000 | 361,85,000 | 361,85,000 | 349,03,000 | 349,03,000 | 87,32,000 | 67,32,000 | 1809,57,000 | 1809,57,000 |
| 15 | Jamshedpur | Stone, Quartzite | - | - | 367,82,000 | 367,82,000 | 693,33,000 | 693,33,000 | 508,77,000 | 508,27,000 | 392,84,000 | 392,84,000 | 152,92,000 | 152,92,000 | 2074,97,000 | 2074,97,000 |
| 16 | Lohardaga | Brick | 6,72,300 | 1,95,000 | 6,99,840 | 3,40,200 | 4,22,820 | 8,07,290 | 7,21,120 | 7,21,120 | 12,57,650 | 12,57,650 | 52,850 | 52,850 | 105,36,631 | 100,08,751 |
| | | Sand | 85,177 | - | 4,34,588 | 3,80,059 | 1,34,998 | 2,25,755 | 14,200 | 14,200 | 37,492 | 37,492 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | Stone | 84,310 | - | 10,81,410 | 6,45,897 | 8,38,558 | 16,13,030 | 14,85,636 | 14,85,636 | 25,15,659 | 25,15,659 | 83,793 | 83,793 | | |
| 17 | Seraikella | Stone/Quartzite/ Pyrophyllite | 96,000 | 96,000 | 202,27,000 | 160,67,000 | 283,22,000 | 285,22,000 | 382,07,000 | 382,07,000 | 260,69,000 | 260,69,000 | 101,20,000 | 101,20,000 | 1130,40,000 | 1188,80,000 |
| 18 | Koderma | Stone | 27,40,533 | 27,40,533 | 87,49,564 | 87,57,366 | 101,57,941 | 101,57,941 | 74,50,071 | 74,50,071 | 125,62,992 | 125,62,992 | 35,15,868 | 35,15,868 | 453,76,969 | 451,84,771 |
| 19 | Garhwa | Dolomite | - | - | 56,91,806 | 56,91,806 | 32,80,639 | 32,80,639 | 54,03,691 | 54,03,691 | 73,96,537 | 73,96,537 | 41,03,257 | 41,03,257 | 269,50,528 | 269,50,528 |
| | | Sand | - | - | - | - | 3,87,300 | 3,87,300 | 2,53,298 | 2,53,298 | 4,26,000 | 4,26,000 | | | | |
| 20 | Khunti | Stone | 10,17,463 | 10,17,463 | 79,73,479 | 79,89,150 | 91,74,293 | 98,50,993 | 222,80,117 | 217,84,547 | 108,25,772 | 115,43,789 | 23,92,154 | 18,90,023 | 553,78,825 | 555,00,023 |
| | | Sand | 2,45,640 | 1,29,998 | 84,160 | 39,420 | 16,590 | 16,590 | 32,490 | 97,813 | 21,095 | 38,994 | 45,118 | 42,600 | | |
| | | Brick/Soil | - | - | - | - | - | - | 2,04,750 | 2,04,750 | 8,63,202 | 8,63,202 | | | | |
| 21 | Simdega | Stone | 36,58,000 | 20,58,000 | 119,55,000 | 119,55,000 | 90,56,000 | 90,56,000 | 141,44,000 | 141,44,000 | 164,49,000 | 164,49,000 | 77,28,000 | 77,28,000 | 623,90,000 | 629,90,000 |
| 22 | Jamtara | Stone/Sand | 10,56,000 | - | 80,69,000 | 94,16,000 | 42,76,000 | 42,76,000 | 58,47,000 | 73,81,000 | 150,96,000 | 151,26,000 | 43,08,000 | 43,08,000 | 396,43,000 | 405,14,000 |
| 23 | Dumka | Stone/Sand | 66,49,000 | 6,72,000 | 368,03,000 | 804,64,000 | 493,92,000 | 690,71,000 | 703,79,000 | 991,45,000 | 475,65,000 | 442,32,000 | 78,44,000 | 123,69,000 | 1980,32,000 | 2559,52,000 |
| 24 | Sahebganj | Sand | - | 6,47,000 | 686,53,256 | 686,53,256 | 1288,58,039 | 1288,58,039 | 1709,17,612 | 1708,17,612 | 2899,08,762 | 2899,08,762 | 654,97,202 | 654,97,202 | 7238,35,871 | 7244,82,871 |
| | Total (In Rs.) | | 559,16,704 | 431,32,328 | 5051,07,122 | 4849,10,716 | 6991,97,453 | 6888,56,295 | 8261,81,641 | 9155,79,654 | 11013,58,720 | 11795,85,158 | 3067,38,821 | 3184,44,195 | 36345,10,564 | 36147,97,675 |
| | Total (In Cr. Rs.) | | 5.59 | 4.31 | 50.51 | 48.49 | 69.91 | 68.89 | 82.62 | 91.56 | 110.14 | 117.96 | 30.67 | 31.84 | 363.45 | 361.47 |

## Details of Scheme

| Details of Schemes / Projects under implementation | Number of schemes/ projects/Unit | No. of individual beneficiaries assisted (ODF, Trainees, Others) | Amount Allocated (Rs. in Cr.) | Amount spent on date (Rs. in Cr.) |
|---|---|---|---|---|
| • Drinking water | 16742 | 3148084 | 3801 | 2416.70 |
| • Sanitation (ODF) (Swatch Bharat Mission) | 18 | 794551 | 460.98 | 377.11 |
| • Health Sector | 117 | 207544 | 67.43 | 54.50 |
| • Others | 2672 | 56073 | 665.29 | 271.87 |
| TOTAL | 19549 | 4206252 | 4994.41 | 3120.18 |

## ı of Schemes Taken Up Under PMKKKY upto July, 2021

(Fig. in Rs.)

| District | Name of Schemes | | | | | | | | | | | | | | | | Total Sanctioned Amount | Total Spent Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Schemes related to drinking water | | | | Schemes related to sanitation [ODF] | | | | Schemes related to Health Care | | | | Other Schemes | | | | | |
| | No. of Schemes | No. of Units | Sanctioned Amount | Spent Amount | No. of Schemes | No. of Units | Sanctioned Amount | Spent Amount | No. of Schemes | No. of Units | Sanctioned Amount | Spent Amount | No. of Schemes | No. of Units | Sanctioned Amount | Spent Amount | | |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 27 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| anbad | 78 | - | 162195,83,376 | 59587,51,408 | 1 | 57,270 | 33639,28,555 | 15834,28,194 | 6 | | 166,30,964 | 57,70,115 | 11 | - | 26823,75,639 | 768,72,878 | 170079,67,514 | 71943,93,507 |
| ıngarh | 545 | 530 | 75865,13,870 | 61857,71,589 | 1 | 49,779 | 6390,95,888 | 5736,93,581 | 15 | 15 | 931,71,230 | 558,71,756 | 174 | 138 | 12776,53,614 | 10949,53,221 | 90693,57,856 | 78518,29,123 |
| atra | 13379 | 13,379 | 25123,81,000 | 19649,69,000 | 1 | 57,280 | 9847,52,000 | 4951,09,525 | 14 | 674 | 345,55,000 | 345,98,000 | 401 | 340 | 3853,36,255 | 2812,57,255 | 50308,67,255 | 24169,27,880 |
| ıkaro | 12 | - | 43127,68,000 | 27985,42,442 | 1 | - | 1000,00,000 | 1000,00,000 | 15 | - | 1819,37,890 | 1939,37,890 | 7 | - | 1393,48,645 | 1393,48,645 | 47340,54,535 | 32002,28,977 |
| dda | 1249 | 1,090 | 4705,38,937 | 3859,33,084 | 1 | 47,195 | 5968,38,436 | 5956,85,996 | 10 | 10 | 1958,27,580 | 1167,95,907 | 498 | 498 | 17884,75,818 | 7148,16,721 | 34105,51,878 | 18100,72,068 |
| uaribagh | 9 | - | 12614,11,600 | 8472,39,959 | 1 | 998 | 1084,96,000 | 1084,96,000 | 1 | | 46,67,257 | 45,57,757 | 4 | 475 | 31,57,374 | 12,00,000 | 1836,42,931 | 1616,23,857 |
| oghar | 160 | 374 | 2624,16,406 | 585,91,717 | 1 | 12,475 | 2318,88,497 | 1412,96,089 | - | - | - | - | 50 | - | 1389,13,133 | 62,75,513 | 6342,19,966 | 2059,67,159 |
| ıchi | 133 | 93 | 638,45,539 | 589,31,198 | 1 | 2,334 | 968,34,335 | 164,73,000 | 10 | 16 | 1311,08,150 | 964,94,235 | 135 | 135 | 667,34,005 | 238,09,899 | 3983,13,954 | 2036,57,265 |
| tehar | 44 | 405 | 1522,85,476 | 1089,88,528 | 1 | 3,757 | 453,60,000 | 551,60,000 | 5 | 5 | 37,50,706 | 37,50,706 | 12 | 4,740 | 101,99,028 | 101,99,028 | 2213,95,388 | 1584,99,262 |
| ridih | 12 | - | 165,29,240 | 173,01,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 270,38,491 | 153,50,291 | 505,68,431 | 327,31,931 |
| ilamu | 13 | - | 327,65,800 | 95,20,924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327,65,800 | 95,20,924 |
| ilur | 312 | 300 | 1540,86,600 | 67,50,000 | 1 | 3,135 | 2890,89,027 | 43,93,472 | 6 | 6 | 13,50,000 | - | 925 | 825 | 1913,83,462 | 18,70,507 | 5958,09,089 | 205,03,479 |
| aibasa | 191 | 1,867 | 19090,93,674 | 17729,03,670 | 1 | 10,000 | 7176,47,443 | 3660,61,100 | 5 | | 104,85,000 | 51,48,900 | 144 | - | 3885,07,610 | 1415,66,325 | 30347,43,327 | 22557,96,254 |
| imla | 106 | 104 | 1294,00,839 | 768,48,711 | 1 | 740 | 86,80,000 | 86,80,000 | 1 | - | 4,85,390 | 4,85,840 | - | - | - | - | 1387,66,119 | 861,94,551 |
| mshedpur | 606 | 606 | 3688,35,027 | 3729,48,267 | 1 | 33,491 | 1349,10,000 | 1081,26,000 | 3 | 3 | 299,61,246 | 299,34,715 | 162 | 162 | 2317,98,129 | 1741,41,140 | 7695,09,302 | 5341,49,122 |
| hardaga | 19 | - | 112,93,097 | 94,74,794 | 1 | 2,229 | 320,00,000 | 275,80,000 | - | - | - | - | 3 | - | 2,10,000 | 2,10,000 | 435,03,097 | 372,72,794 |
| raikella-Kharsa | 1 | 1 | 56,66,659 | 50,08,449 | 1 | 986 | 100,00,000 | 94,00,000 | 3 | 3 | 79,01,670 | 76,01,670 | 30 | 30 | 611,00,700 | 459,45,222 | 856,71,041 | 688,35,561 |
| ıdermo | 2 | 30 | 33,95,659 | 20,58,197 | 1 | 210 | 24,30,000 | 20,52,000 | 1 | 8 | 27,95,000 | 21,39,000 | - | - | - | - | 86,24,659 | 62,49,197 |
| ıthwa | 12 | 12 | 110,89,476 | 110,89,476 | - | - | - | - | 1 | 1 | 10,00,000 | 10,00,000 | - | - | - | - | 120,89,476 | 120,89,476 |
| ıanti | 4 | - | 60,08,085 | 60,08,085 | 1 | 400 | 4,00,000 | 4,00,000 | 2 | 2 | 74,54,192 | 74,54,192 | 3 | 1 | 140,72,630 | 140,72,630 | 279,34,907 | 279,34,907 |
| ndega | 5 | 627 | 174,77,000 | 139,82,000 | - | - | - | - | 1 | 20 | 1,03,000 | 1,03,000 | 35 | 52 | 266,76,000 | 195,72,400 | 443,56,000 | 337,57,400 |
| ntara | 1 | 119 | 141,84,000 | 82,73,000 | 1 | 1 | 19,52,000 | - | 1 | - | 13,81,000 | 13,81,000 | 7 | 7 | 63,72,000 | 21,96,000 | 238,89,000 | 118,50,000 |
| mka | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 110,21,000 | 110,21,000 | 110,21,000 | 110,21,000 |
| hebganj | 2 | 167 | 134,76,253 | 134,76,253 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 60,38,107 | 60,38,107 | 195,14,360 | 195,14,360 |
| Total | 16742 | 22365 | [illegible] | [illegible] | 18 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 117 | 777 | [illegible] | [illegible] | 2672 | 7395 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| al (in Crs.) | 16742 | 22365 | 3800.71 | 2416.70 | 18 | 344486 | 460.98 | 377.11 | 117 | 777 | 67.43 | 54.50 | 2672 | 7395 | 665.3 | 271.87 | 4994.41 | 3120.18 |

5

(30)

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य में 2021 से अब तक कोविड से 5131 लोगों की मृत्यु सरकारी आंकड़ों के अनुसार हुई है। | कोरोना महामारी के Wave-1 एवं Wave-2 दोनो काल में राज्य अंतर्गत सभी जिलों से प्रतिवेदित अभी तक कुल 5132 व्यक्तियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि मृत व्यक्तियों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, दर्शाया गया है। | अस्वीकारात्मक। वस्तुतः ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्रतिवेदित नहीं है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बताना चाहती है कि कितने की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है तथा सरकार सभी सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लान्ट लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | अस्वीकारात्मक।<br>स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लान्ट लगाने का कार्य किया जा रहा है। PM Care Fund से कुल 38 स्वास्थ्य संस्थानों जबकि CSR/ State Resource से कुल 34 स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन प्लांट Installation का कार्य किया जा रहा है जिसे 15 Sept 2021 तक सभी संस्थानों को पूरा करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। गैर सरकारी संस्थान में कुल 16 संस्थानों में ऑक्सीजन प्लांट Installation का कार्य संम्पन्न हो चुका है। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 08/वि0स0(प्रश्न)–01/2021...11(08) राँची, दिनांक– 04.09.2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1907 वि0स0, दिनांक 30.08.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.09.2021

सरकार के संयुक्त सचिव

Jully kumari

(31)

**श्री राजेश कच्छप, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–07.09.21 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–24 का उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1- | क्या यह बात सही है, कि स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या–421 (9) दिनांक–22.11.2018 द्वारा झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2018 के प्रावधानों का अधिसूचना संख्या–83 (9) दिनांक–20.04.2020 द्वारा किया गया है; | स्वीकारात्मक। |
| 2- | क्या यह बात सही है कि उक्त नियमावली के पूर्व पदस्थापित चिकित्सकों का Wage Protection एवं अन्य लाभ (वर्ष 2016–2018 के बीच पदस्थापित) सरकार के समक्ष विगत तीन (3) वर्षों से प्रक्रियाधीन हैं; | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 3- | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त पदस्थापित चिकित्सकों को अन्य सभी लाभ देना चाहती है, नही तो क्यों ? | विभागीय अधिसूचना सं0–421 (9) दिनांक–22.11.18 द्वारा झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018 अधिसूचित है। तत्पश्चात अधि0सं0–83 (9) दिनांक–20.04.2020 द्वारा उक्त नियमावली में संशोधन किया गया है। संशोधन नियमावली की कंडिका–3 के अनुसार **"झारखण्ड चिकित्सा सेवा संवर्ग के वैसे सरकारी चिकित्सक जिनकी नियुक्ति ट्यूटर एवं वरीय रेजिडेंट के पद पर नियमावली बनने के पश्चात हुई है, को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं भत्ता ट्यूटर एवं वरीय रेजिडेन्ट के पद पर नियुक्ति अवधि के लिए देय होगा। सामान्य कटौतियाँ भी नियमानुसार की जायेगी"।**<br>वर्ष 2016–18 के बीच टेन्योर अवधि पर पदस्थापित झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के नियमित चिकित्सकों को वेतनमान एवं अन्य कटौतियाँ नियमानुसार प्रदान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-19/2021 - 414(9) राँची, दिनांक– 04.09.2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 2000 दिनांक– 02-09-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.9.21

सरकार के अवर सचिव

Dhan

(32)

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक–07.09.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–21

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

| क्र०सं० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्यभर में Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 लागू है, जिसके अन्तर्गत सभी बालू घाटों को 02 केटेगरी क्रमशः केटेगरी–01 (जिसके अंतर्गत 235 घाट है, जिसका संचालन पंचायत के माध्यम से निःशुल्क निजी उपयोग हेतु होना है) और केटेगरी–02 (जिसके अन्तर्गत 358 घाट है, जिसे JIMMS/JSMDC के माध्यम से कमर्शियली बेचने का प्रावधान है) में विभाजित किया गया है एवं उक्त सभी घाटों में CCTV लगाने तथा बालू के अवैध खनन और परिवहन को रोकने हेतु सभी वाहनों में ट्रेकिंग सिस्टम GPS सिस्टम लगाने का उपबंध किया गया है और इसका भंडारण, विक्रय एवं प्रेषण हेतु JIMMS/JSMDC पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन का निस्तारण जिला खनन कार्यालयों के स्तर से होना है, लेकिन आम नागरिकों को ऐसी कोई भी ऑनलाईन विक्रय की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके तहत उनके स्थल/घरों तक बालू की आपूर्ति हो सकें। | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।<br>Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 एवं District Survey Report (DSR) के अनुसार केटेगरी–I के बालूघाट पंचायत द्वारा संचालित कराने हेतु जिलास्तर पर कार्रवाई की जाती है। झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि०, राँची को केटेगरी–II के बालूघाट का संचालन का Mandate है। सूचित किया गया है कि 16 बालूघाट संधारित है। शेष बालूघाटों के Mining Plan/E.C/CTE/CTO प्रक्रियाधीन है तथा MDO का चयन हेतु कार्रवाई की जा रही है।<br>ट्रेकिंग सिस्टम के अंतर्गत JIMMS तथा Vehicle Tracking System के System Integrtor का JAP-IT/Data Centre में API Integration हेतु Security/Resecurity प्रक्रिया में है। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बालू के अवैध खनन, भंडारण और प्रेषण पर लगाम लगाने हेतु Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 को कठोरता से लागू करवाते हुए सभी बालू घाटों के जिलावार नाम, पता/लोकेशन को प्रचारित करते हुए नागरिको को ऑनलाईन विक्रय की सुविधा देने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ? | झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि०, राँची द्वारा चालू घाट का विवरण JIMMS Portal पर उपलब्ध है। जैसे–जैसे बालूघाट आवश्यक अनापत्ति के पश्चात सक्रिय होते है, वे भी ऑनलाईन कार्य करेंगे। |

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ०सू०)–92/2021 1724 /एम०, राँची, दिनांक:– 06/9/21

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1977 दिनांक–31.08.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/9/21

सरकार के उप सचिव

(23)

1663
06/09/2021

डॉ० सरफराज अहमद, मा०स०वि०रा० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–06

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य के मदरसा में विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन हेतु *SPQEM/SPEMM* के तहत् पूर्णकालिक स्नातक शिक्षक को प्रतिमाह 6000/– रुपये एकमुश्त मानदेय देने का प्रावधान है; | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2014–15 से केन्द्रीय योजना *SPQEM (Scheme for Providing Quality Education in Madarsa)* और *IDMI (Infrastructure Development in Minority Institution)* को एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में संबद्ध करते हुए *SPEMM (Scheme for Providing Education in Madarsa/Minority)* नामकरण किया गया है। वर्तमान में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। ये स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत स्थायी कर्मचारी नहीं हैं।<br>केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु गणित, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्रश्नाधीन योजना के तहत् वार्षिक रूप से रखे जाने का प्रावधान है। केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक परियोजना अनुमोदन परिषद् (*PAB*) की बैठक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है तथा तद्नुसार स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के 88 मदरसों में 179 कार्यरत शिक्षकों को विगत 6 वर्षों से मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे शिक्षक आर्थिक तंगी एवं भुखमरी के कगार पर हैं; | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक परियोजना अनुमोदन परिषद् (*PAB*) की बैठक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है तथा तद्नुसार स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है तथा वर्षवार स्वीकृत योजना के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन (शिक्षकों का मानदेय भुगतान सहित) किया जाता है। विभागीय पत्रांक 1155 दिनांक 28.04.2011 से स्पष्ट है कि इन शिक्षकों को मात्र 01 वर्ष के लिये रखा जाता है तथा योजना की स्वीकृति के उपरान्त इस योजना की राशि को व्यय करने संबंधी निर्गत पत्र में यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षकों को 01 वर्ष के लिये आधुनिक विषयों में मानदेय के आधार पर रखा जाना है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान शीघ्र करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् राशि भारत सरकार से वर्ष 2014–15 तक प्राप्त हुआ तथा प्राप्त राशि को मदरसों को उपलब्ध कराया गया।<br>वर्ष 2015–16 के बाद इस योजना हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हो पायी है। विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा कि भारत सरकार राशि उपलब्ध करा दे। विभागीय पत्रांक 1201 दिनांक 28.07.2021 द्वारा समस्त कागजातों को उपलब्ध कराते हुए भारत सरकार को स्मारित किया गया है। राशि प्राप्त होते ही नियमानुसार मानदेय भुगतान किया जा सकेगा। |

06.09.21

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–113/2021 1663 राँची, दिनांक 06/09/2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री संजीव सरदार, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–26 का उत्तर प्रतिवेदन।

| | |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत प्रखण्ड–डुमरिया, के बाकुलचंदा ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण हो गया है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2.क्या यह बात सही कि निर्मित भवन का हस्तांतरण नहीं होने के कारण आम ग्रामीणों का समुचित चिकित्सीय उपचार नहीं हो पर रहा है ; | स्वीकारात्मक।<br>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरिया एवं क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में आम ग्रामीण जन को समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निर्मित भवन को हस्तांरित करते हुए उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित कराने का विचार रखती है, हाँ तो नही क्यों ? | निर्मित भवन के हस्तांतरण के पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07–52/2021..248(15) राँची, दिनांक–05.09.2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1999 वि0स0, दिनांक 02.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.09.2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

jully kumari

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 07.09.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-17 का उत्तर प्रतिवेदन।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि रिम्स मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, राँची में न्यूरो विभाग में बेड की संख्या काफी कम है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>रिम्स, राँची में न्यूरो सर्जरी विभाग में बेड की संख्या 110 है एवं मरीजों की संख्या अधिक है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के सभी जिलों के मरीज अपना ईलाज कराने रिम्स में आते है तथा न्यूरो विभाग अन्तर्गत बेड की संख्या कम रहने से मरीजों को बेड नहीं मिलता है और उन्हें समुचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>बेड की कमी के कारण मरीजों के लिए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव स्थानीय व्यवस्था करते हुए ईलाज करना पड़ता है। रिम्स प्रशासन द्वारा उन्हें यथा सम्भव समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। |
| 2. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिम्स के न्यरो विभाग में मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | रिम्स, राँची में बेड की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। निकट भविष्य में बेड की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-11/रिम्स (वि0 स0)-05-07/2021स्वा0- 361(11) /राँची, दिनांकः- 04/09/2021

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 1906/वि0स0 दिनांक-30.08.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.09.2021 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–12 का उत्तर।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1.क्या यह बात सही है कि राज्य में 84,700 हेक्टेयर वन भूमि सीमांकित क्षेत्र है जिन्हें अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, | राज्य के अतर्गत ऐसी वन भूमि जो सीमांकित है परन्तु अधिसूचित नही है, से संबंधित वनों के डाटा संग्रहण एवं सत्यापन का कार्य चल रहा है। अभी तक की स्थिति के अनुसार 90,823 हे0 वन भूमि ऐसी पायी गई है। |
| 2.क्या यह बात सही है कि राज्य के 747 गाँव के नक्शे को वन बंदोबस्ती पदाधिकारी या वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, | वन बंदोबस्ती कार्य पूर्ण होने के बाद वन भूमि के नक्शे वन बंदोबस्ती पदाधिकारी तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर सत्यापित किये जाने थे, परन्तु कुछ ऐसे मामले संज्ञान में आये हैं जिनमें नक्शे पर उपर्युक्त पदाधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं है। विभाग का मानना है कि वन बंदोबस्ती का कार्य 1955–67 के बीच संपन्न किया गया था तथा इस हेतु नियुक्त वन बंदोबस्ती पदाधिकारियों द्वारा कार्य अचानक बंद कर दिये जाने के कारण संभवतः ऐसा हुआ। |
| 3.क्या यह बात सही है कि जमाबंदी नक्शों पर वन भूमि का सीमांकन कार्य नहीं होने के कारण वन भूमि का अनाधिकृत खरीद और बिक्री हो रही है, | वन भूमि की अनाधिकृत खरीद और बिक्री रोकने के लिए वन भूमि की विवरणी राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की निगेटिव लिस्ट में शामिल करने हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त को वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। |
| 4.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के 84,700 हेक्टेयर भूमि को अधिसूचित करके 747 गाँवों के नक्शे को सत्यापित करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ? | वन भूमि से संबंधित सभी प्रकार के मामलों की समीक्षा हेतु संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है जो इन मामलों की गहन समीक्षा कर रही है। पूरे राज्य की वनभूमि का मामला है और अभिलेख काफी पुराने हैं (लगभग 60–70 वर्ष पूर्व के) इस जटिलता को ध्यान में रखकर ही सभी जिलों के अपर समाहर्त्ता एवं बंदोबस्ती पदाधिकारियों को भी इस समिति में रखा गया है ताकि राजस्व विभाग के अभिलेखों से भी समन्वय हो सके। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–126/2021– 2568 व0प0, दिनांक– 06.09.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1909, दिनांक–30.08.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–4 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य में कोविड संक्रमण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अभाव में 5131 की घोषित रूप से एवं अघोषित रूप से 20 हजार से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई ; | कोरोना महामारी के Wave-1 तथा Wave-2 दोनों काल में राज्यान्तर्गत सभी जिलों से प्रतिवेदित अभी तक कुल 5132 व्यक्तियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक व सुविधा का घोर अभाव है, साथ ही मृतक के आश्रितों को अबतक कोई मुआवजा की घोषणा नही हुई. | राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक नियुक्त हैं। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है एवं पुनः विज्ञापन सं0 01/2021/HRHMS-SMO/MO दिनांक 16.08.2021 द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दुरूस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दुरूस्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इमरजेंसी कोविड रिस्पॉस प्लान (ECRP Phase-II) के अन्तर्गत बजट का प्रावधान किया गया है। इसके आधार पर PHC Infrastructure को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं विभाग स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। जिलान्तर्गत रिक्त पदों को उच्च प्राथमिकता देते हुए अविलम्ब भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–15/2021.59(21) राँची, दिनांक– 04/09/2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1786 वि0स0, दिनांक 26.08.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

jully kumari

पंचम झारखण्ड विधान सभा का षष्टम (मानसून) सत्र (38) में दिनांक 07.09.2021 को प्रो० स्टीफन मराण्डी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं० अ०सू०–20 का उत्तर प्रतिवेदन।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि निम्नतर पद से उच्चतर पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत् प्रभार देने के पूर्व वरीयता सह योग्यता अथवा लागू सम्वर्गीय नियमावली के क्रम में निर्धारित अर्हता पदाधिकारियों की सूची बनाते हुए आरक्षण नीति का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य है ; | – स्वीकारात्मक |
| 2. क्या यह बात सही है कि इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या–442 दिनांक 25.01.2006 में दिशा निर्देश भी जारी की थी; | – स्वीकारात्मक |
| 3. क्या यह बात सही है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षण संस्थान में आरक्षण के अनुरूप एक भी अनुसूचित जाति के शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है; | – अस्वीकारात्मक<br>वर्तमान में दो अनुसूचित जाति (श्री सत्यदेव राम–राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो एवं श्री राजेश कुमार, राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा) के व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थापित हैं। |
| 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निम्नतर पद से उच्चतर पद के प्रभार में की गई प्रतिनियुक्ति की समीक्षा करते हुए अनुसूचित जाति के शिक्षक को आरक्षण के तहत उच्चतर पद का प्रभार दिलाने का इरादा रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | – उक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है। |

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपालहाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– HTESDsec1/VIDHAN SABHA - 4/2021- — 862 /राँची, दिनांक– 04.09.2021

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1965 दिनांक 31.08.2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/9/2021

(सरकार के अवर सचिव)

(34)

**श्रीमती ममता देवी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–07.09.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–29 का उत्तर –**

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला मुख्यालय थाना चौक के नजदीक दामोदर नदी के किनारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्रतिमा विधि विधान से स्थापित की गयी है, जहाँ आमजनों द्वारा वर्षों से बापू की याद में एक म्यूजियम एवं पार्क बनाये जाने तथा अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर एक पुस्तकालय बनाये जाने की माँग की जाती रही है; | आंशिक स्वीकारात्मक है।<br>प्रश्नगत क्षेत्र छावनी परिषद, रामगढ़ के क्षेत्राधिकार में आता है। मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, रामगढ़ के पत्रांक–B/VIII/Gen/ दिनांक–06.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत क्षेत्र में म्यूजियम, पार्क एवं पुस्तकालय बनाये जाने की मांग कभी उनके कार्यालय से नहीं की गयी है। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोक हित में खण्ड–01 में वर्णित स्थल पर म्यूजियम एवं पुस्तकालय का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा उक्त प्रश्न में अंकित विषयवस्तु के संबंध में उपायुक्त, रामगढ़ से एक प्रतिवेदन की मांग की जा रही है। उपायुक्त, रामगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा। |

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05/न०वि०/वि०स० अल्प सूचित–08/2021 2747 राँची, दिनांक :– 06/09/21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०प्र०–2002 वि०स० दिनांक–02.09.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/9/2021
सरकार के अवर सचिव।

(40)

1645
05/09/2021

| श्रीमती सीता सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–02<br>क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि– | | |
|---|---|---|
| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि सरकार कैबिनेट की बैठक में JSSC की प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना अभ्यर्थियों के लिए जरूरी कर दिया गया है, | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 418 दिनांक 10.08.2021 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर), संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 में इस तरह के प्रावधान किये गये हैं। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई प्रारंभिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक नियमित रूप से नहीं होती है, | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक (+2 विद्यालयों) में राज्य के जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिये निम्न व्यवस्था की गयी है –<br>1. राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति के अर्हत्ता के रूप में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में द्वितीय भाषा के रूप में राज्य के 01 जनजातीय भाषा की परीक्षा अनिवार्य की गयी है, ताकि भाषा के जानकार शिक्षक नियुक्त हो सकें।<br>2. राज्य में समग्र शिक्षा अभियान (तत्काल समय में सर्व शिक्षा अभियान) के तहत् लगभग 60 हजार पारा शिक्षकों द्वारा पठन–पाठन का कार्य संपादन किया जाता है। ये सभी पारा शिक्षक अपने पंचायत/प्रखण्ड/जिला में शिक्षण कार्य करते हैं तथा स्थानीय होने के कारण ये उस भाषा के जानकार होते हैं तथा इन शिक्षकों के माध्यम से भी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है।<br>3. प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षकों का संवर्ग भी जिलास्तरीय होता है और जिला स्तर पर नियुक्ति होने के कारण संबंधित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा के जानकार शिक्षक का ही जिलान्तर्गत पदस्थापन होता है। इस प्रकार भी प्रारम्भिक विद्यालय के छात्रों को जनजातीय भाषा के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होती है।<br>**माध्यमिक विद्यालयों** में जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा दी जा सके, इस हेतु क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है। माध्यमिक विद्यालय हेतु निर्धारित मानक में भाषा के 04 पद प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत किये गये हैं। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी, बंगला, उड़िया, संथाली, हो, मुंडारी, कुडुख एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सभी क्षेत्रीय भाषाओं सहित में से नियमानुसार 04 भाषाओं (जनजातीय भाषा सहित) का चयन विद्यालय की प्रबंध समिति अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार कर सकती है। माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक 466 |

| | | |
|---|---|---|
| | | क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के शिक्षक नियुक्त हो कार्य कर रहे हैं।<br>राज्य में जो भी +2 विद्यालय हैं, वे सभी उच्च विद्यालय से उत्क्रमित किये गये हैं तथा उच्च विद्यालय के शिक्षकों से +2 विद्यालय का पठन–पाठन का कार्य भी लिया जाता है तथा उच्च विद्यालय के शिक्षक (जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक) सहित +2 विद्यालय में पठन–पाठन का कार्य करते हैं तथा इसी कारण से +2 विद्यालयों में जनजातीय भाषा में पद का सृजन नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रारम्भिक एवं माध्यमिक से +2 विद्यालय स्तर तक के विद्यालयों में जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई हेतु समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई प्रारंभिक कक्षा से विश्वविद्यालय स्तर पर नियमित रूप से शुरू कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इस खण्ड का उत्तर खण्ड–2 में सन्निहित है। |

05.09.21

सरकार के अवर सचिव।

## झारखण्ड सरकार
### स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–115/2021 1645 राँची, दिनांक 05/09/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.9.21

सरकार के उप सचिव।

(40)

**श्रीमती सीता सोरेन, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-07.09.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-02 से संबन्धित उत्तर:-**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि सरकार कैबिनेट की बैठक में ISSC की प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना अभ्यर्थियों के लिए जरूरी कर दिया गया है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई प्रारंभिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक नियमित रूप से नहीं होती है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>राँची विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के कुल 165 पद स्वीकृत के विरूद्ध 32 शिक्षक एवं घंटी आधारित 120 शिक्षक कार्यरत हैं।<br>कोल्हान विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा के स्वीकृत पद 08 के विरूद्ध 03 शिक्षक कार्यरत हैं। इस विश्वविद्यालय में 05 क्षेत्रीय भाषाओं के कुल 159 पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।<br>विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अन्तर्गत 06 माह का सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई होती है। इस महाविद्यालय में 07 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के 49 शिक्षकों के पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।<br>सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका में क्षेत्रीय भाषा के 18 स्वीकृत पद के विरूद्ध 06 घंटी आधारित शिक्षक कार्यरत हैं। इस विश्वविद्यालय में 03 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के 35 पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।<br>डॉ० श्यामा प्रसाद मुकर्जी विश्वविद्यालय, राँची में क्षेत्रीय भाषा के 20 स्वीकृत पद के विरूद्ध 05 शिक्षक कार्यरत हैं। इस विश्वविद्यालय में पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।<br>नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा के 08 स्वीकृत पद के विरूद्ध 02 शिक्षक कार्यरत हैं। विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय से पदों का सृजन का प्रस्ताव की मांग की गयी है।<br>विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में 6 महीने का खोरठा, कुरमाली एवं संथाली विषय की पढ़ाई होती है। इस विश्वविद्यालय में 24 शिक्षकों के पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई प्रारंभिक कक्षा से विश्वविद्यालय स्तर पर नियमित रूप से शुरू कराना चाहती है यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | उत्तर कंडिका-2 में निहित है। |

**झारखंड सरकार**
**उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**
**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

ज्ञापांक- 01/वि०स०-04/2021 1229 / रांची, दिनांक- 05/09/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-1788 दिनांक-26.08.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/9/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(41)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 11 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि वर्ष–2018–19 में रिम्स प्रबंधन ने पीजी डिप्लोमा में नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा निर्धारित सीमा से कम अंक प्राप्त छात्रों का नामांकन किया गया है ; | वर्ष 2018–19 में पी0जी0 डिप्लोमा कोर्स में एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त होने वाले दो छात्रों का नामांकन रिम्स, राँची के अन्तर्गत होने के मामला संज्ञान में आया था, जिसमें से एक छात्र का मामला सही पाया गया।<br>उल्लेखनीय है कि पीजी0 पाठयक्रम में राज्य कोटा के सीटो पर नामांकन हेतु झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद द्वारा साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है तत्पश्चात् पर्षद द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों का नामांकन संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में किया जाता है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में रहते हुए भी अबतक दोषियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ; | वर्ष 2018–19 में एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले नामांकित अभ्यर्थियों के संबंध में निदेशक, रिम्स, राँची तथा परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद से संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने हेतु नाम चिन्हित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, ताकि उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके। निदेशक, रिम्स, राँची से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में स्मारित किया गया है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 30 दिनों के समय सीमा के अन्दर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | रिम्स, राँची में वर्ष 2018–19 में पी0जी0 डिप्लोमा पाठयक्रम में एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र के नामांकन के संबंध में दोषियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 9/विधायी–06–17/2021 413(3) राँची, दिनांक– 4/9/21

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 1908 दिनांक– 30-08-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.9.21

सरकार के अवर सचिव

Pradeep

(42)

*श्री राज सिन्हा, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–07.09.2021 को पृच्छित अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–03 का उत्तर–*

| प्रश्नकर्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री राज सिन्हा, सदस्य विधान सभा | *श्री हफीजुल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।* |

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि राज्य के सभी जिलों में आवासीय और डे–बोर्डिंग सेंटर संचालित है, परन्तु उनमें समुचित संख्या में खेल प्रशिक्षक प्रतिनियुक्त नहीं है; | **अस्वीकारात्मक।** सभी संचालित आवासीय एवं डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में संविदा/मानदेय पर प्रशिक्षक कार्यरत है। |
| 2 | क्या यह बात सही है, कि आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र में कुल 18 खेल प्रशिक्षक ही कार्यरत है, जिसके कारण खेल प्रशिक्षुओं (नन्हें खिलाड़ियों) के खेल प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों पर असर पड़ रहा है; | **अस्वीकारात्मक।** खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय अंतर्गत कुल 33 आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। इनमें से 18 प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षक की नियुक्ति संविदा पर की गई है, जबकि शेष क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों में मानदेय के आधार पर प्रशिक्षक रखे गए है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र और डे–बोर्डिंग सेन्टर के खेल प्रशिक्षकों से अनुबंध के आधार पर ही पिछले 10 सालों से सेवाएँ ली जा रही है और उन्हें नियत मानदेय के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं दी जाती है; | **आंशिक स्वीकारात्मक।** सभी आवासीय एवं डे–बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य के आलोक में प्रतिमाह संविदा राशि/नियत मानदेय का भुगतान किया जाता है।<br>इसके अतिरिक्त खिलाड़ी कल्याण कोष अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षकों को चिकित्सीय ईलाज एवं मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आवासीय खेल प्रशिक्षण और डे–बोर्डिंग सेंटरों के खेल प्रशिक्षकों की सेवा नियमित करने एवं अन्य सुविधाऐं मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | आवासीय एवं डे–बोर्डिंग के प्रशिक्षकों की मूल नियुक्ति संविदा एवं मानदेय के आधार पर ही की गई है।<br>संविदा एवं मानदेय आधारित कर्मियों की सेवा नियमतिकरण नीतिगत मामला है जिस पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित निदेश एवं नियम के आलोक में ही समुचित कार्रवाई की जा सकती है। |

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–97/2021-1282 राँची, दिनांक 04.09.2021

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1783/वि०स०, दिनांक–26.08.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/9/2021

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

पंचम झारखण्ड विधान सभा का षष्टम (मानसून) सत्र में दिनांक 07.09.2021 को श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–19 का उत्तर प्रतिवेदन। (43)

(43)

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 5. क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी पोलिटेकनिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के 16 (सोलह) व्याख्याता कार्यरत हैं, | – आंशिक स्वीकारात्मक<br>वस्तुतः वर्तमान में राज्य के सरकारी पोलिटेनिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के 15 (पंद्रह) व्याख्याता कार्यरत हैं। |
| 6. क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 2535 दिनांक 16.10.2015 के कंडिका संख्या 12 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्याख्याताओं को प्रोन्नति में आरक्षण देय है; | – आंशिक स्वीकारात्मक<br>विभागीय अधिसूचना सं0 2535 दिनांक 16.10.2015 के कंडिका 12 में प्रावधानित है कि– "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के उपबंध के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पक्ष में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। संवर्गीय एकल पद में आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी।"<br>व्याख्याता का पद केवल राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में सृजित है। इसके अतिरिक्त राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य का पद है। उक्त सभी पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सीधी नियुक्ति होती है। व्याख्याता से विभागाध्यक्ष/प्राचार्य में प्रोन्नति का प्रावधान नहीं है।<br>उक्त पद पर कार्यरत व्याख्याताओं को मात्र वित्तीय उन्नयन का लाभ तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली के खण्ड IV (कंडिका 11) में AICTE द्वारा अनुशंसित CAS के तहत दिया जाता है। AICTE द्वारा अनुशंसित Career Advancement Scheme (CAS) के तहत आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, वरन् जो भी व्याख्याता निर्धारित योग्यता एवं अनुभव/प्रशिक्षण धारित करते है, उन सभी को लाभ दिया जाता है। उक्त प्रोन्नति के उपरान्त व्याख्याता के मूल धारित पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। |
| 7. क्या यह बात सही है कि संकल्प संख्या–918 दिनांक 01.02.2021 द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 26% प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया है; | – स्वीकारात्मक |
| 8. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सरकारी पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के व्याख्याताओं की 26% आरक्षण के तहत प्रोन्नति देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | – कंडिका 2 के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है। |

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपालहाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– HTESDsec1/VIDHAN SABHA -5/2021- – 863 /राँची, दिनांक– 04.09.2021

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1964 दिनांक 31.08.2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/9/2021

(सरकार के अवर सचिव)

(44)

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–07.09.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07 की उत्तर सामग्रीः–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1– क्या यह बात सही है कि गिरिडीह सदर प्रखण्ड के पूर्वांचल क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बड़े पैमाने पर जहरीली गैसों का उत्सर्जन किया जा रहा है, | अस्वीकारात्मक।<br>गिरीडीह सदर प्रखण्ड के पूर्वांचल क्षेत्र में कुछ कारखाने हैं यथा स्पौंज आयरन, पीग आयरन, इण्डक्शन फर्नेस, रोलिंग मील एवं राईस मील स्थापित है। विभिन्न गैसों का उत्सर्जन स्वभाविक है। |
| 2– क्या यह बात सही है कि जहरीली गैस के कारण इस क्षेत्र में श्वास रोग से संबंधित एवं अन्य तरह की बीमारी हो रही है, जिसके कारण बच्चे अपंग एवं अस्वस्थ्य पैदा ले रहे है एवं जल, वायु एवं मृदा प्रदूषित होने के कारण वहाँ के जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, | अस्वीकारात्मक।<br>उद्योगों से बीमारी या कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या की विशिष्ट सूचना इस कार्यालय को नहीं है।<br>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गिरिडीह जिला अंर्तगत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा बड़े पैमाने पर जहरीली गैस के उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ:–<br>1. वायु प्रदूषण– इसके तहत् Upper Respiratory Tract infection, Asthama silicosis etc बीमारियों की संख्या बढ़ी है, जिसका समय समय पर कैम्प लगाकर स्क्रीनिंग कराया जाता है एवं समुचित इलाज दिया जाता है<br>2. जल एवं वायु प्रदूषण के कारण संभवतः इस क्षेत्र के बच्चों में अपंगता एवं अस्वस्थता की स्थिति पायी जा रही है। जिसकी पुष्टि हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिजनल ऑफिसर प्रदूषण विभाग के साथ समंवय स्थापित करते हुए मृदा एवं जल की जाँच हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।<br>विभागीय पत्रांक–2517 दिनांक–01.09.2021 पत्रांक–2550 दिनांक–03.09.2021 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)/निदेशक, उद्योग, झारखण्ड से प्रतिवेदन की मांग की गयी है। |
| 3– यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जहरीली गैसों के उत्सर्जन को रोकने हेतु सघन वृक्षारोपण एवं पर्यावरण को शुद्ध करने हेतु अन्य ठोस कदम उठाकर जनमानस को राहत दिलाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न–116/2021–2575 व0प0, राँची, दिनांक– 06.09.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1791 दिनांक–26.08.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6-9-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

(415)

पंचम झारखण्ड विधान सभा का षष्टम (मानसून) सत्र में दिनांक 07.09.2021 को श्री दुलू महतो माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में एक मात्र अभियंत्रण कॉलेज बी0आई0टी0 सिन्दरी है, जो राज्य गठन के उपरान्त झारखण्ड को मिला और बिहार को 3 सरकारी अभियंत्रण कॉलेज मिला और 20 वर्षो के बाद झारखण्ड में एक मात्र बी0आई0टी0 सिन्दरी ही रहा जबकि बिहार राज्य में 20 वर्षों के बाद 3 के जगह 38 सरकारी अभियंत्रण कॉलेज मौजूद है। | – स्वीकारात्मक। |
| 2. क्या यह बात सही है कि बी0आई0टी0 सिन्दरी मे राज्य के गरीब गुरबा के बच्चे उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इस संस्थान की अपनी एक गरिमा है परन्तु संस्थान के निदेशक की नियुक्ति 2020 के बाद अभी तक नहीं की गई है; | – अस्वीकारात्मक। झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में बी0आई0टी0 सिन्दरी में निदेशक के पद पर श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, की नियमित नियुक्ति विभागीय अधिसूचना सं0–39 दिनांक 09.01.2017 द्वारा की जा चुकी है। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बी0आई0टी0 सिन्दरी में नये निदेशक की नियुक्ति एवं अपने अधीन ही पूर्व की संस्थान को संपोषित करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ? | – उक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है। |

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपालहाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– HTESDsec1/VIDHAN SABHA-3/2021- – 864 /राँची, दिनांक– 04.09.2021

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1966 दिनांक 31.08.2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सरकार के अवर सचिव)

(46)

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–07.09.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–16

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर स्थित इंडियन केबुल इंडस्ट्री (इंकैब) नीलामी की कगार पर है और श्रमिकों का बकाया भुगतान नहीं हुआ है, | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि इंकैब की जमशेदपुर फैक्ट्री की जमीन का मूल मालिक झारखण्ड सरकार है और इसे टाटा स्टील लि० को पट्टा पर दिया गया है, | स्वीकारात्मक। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि रूग्ण इंकैब, जमशेदपुर के प्रबंधन में कई बार परिवर्तन होने की अवधि में प्रबंधकों की मिलीभगत से फैक्ट्री की कीमती मशीनें एवं अन्य उपकरण चोरी हो गयी है, जिसपर इंकैब श्रमिक संगठन द्वारा गोलमुरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने विधि सम्मत कारवाई नहीं किया है, | आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।<br>रूग्ण इंकैब, जमशेदपुर के प्रबंधन में कई बार परिवर्तन होने की अवधि में प्रबंधकों की मिलीभगत से फैक्ट्री की कीमती मशीन एवं अन्य उपकरण चोरी होने से संबंधित प्राथमिकी इंकैब श्रमिक संगठन द्वारा गोलमुरी थाना में दर्ज नहीं करायी गयी है।<br>बल्कि उपरोक्त आवेदन को गोलमुरी थाना सनहा संख्या–19/20, दिनांक–14.10.2020 के रूप में दर्ज किया गया है, जो विधि सम्मत है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इंकैब को पुनर्जीवित करने अथवा इस स्थान पर अन्य उद्योग लगाने, प्रबंधकों पर गोलमुरी थाना में दर्ज चोरी कराने के षडयंत्र की प्राथमिकी का अनुसंधान करने तथा इंकैब श्रमिकों का बकाया भुगतान सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | सरकार द्वारा इंकैब के प्रबंधकों पर गोलमुरी थाना में चोरी कराने के षडयंत्र की प्राथमिकी का अनुसंधान करने के संबंध में कंडिका 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।<br>झारखण्ड औद्योगिक नीति 2021 कि कंडिका 5 के तहत पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि इंकैब एक निजी कम्पनी है एवं दिनांक–16.06.2021 को NCLT Kolkata द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में पंकज कुमार टिबरेवाल को Resolution Professional बहाल किया गया है, जो Corporate Debtor के मामले में उचित कार्रवाई कर मजदूरों के बकाया भुगतान या दावा आदि के संबंध में NCLT Kolkata को प्रतिवेदन जमा करेंगे, तदनुसार NCLT Kolkata द्वारा आदेश पारित किया जायेगा। |

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–44/2021 868 राँची, दिनांक– 05/09/2021

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1904 दिनांक–30.08.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/9/21
(नीरज कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–07.09.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–28 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड में Human Resource Policy नहीं है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड में Human Resource Policy नहीं के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में हुई नियुक्तियों में 90% राज्य के बाहरी लोगों की नियुक्ति हुई है; | अस्वीकारात्मक।<br>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत की जाने वाली नियुक्तियों में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत निदेशों का पालन किया जाता है। |
| 3 | क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2022 तक भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान वेतनमान एवं ग्रेड पे के आधार पर किया जाना है; | अस्वीकारात्मक।<br>इस संबंध में भारत सरकार से कोई दिशा–निदेश प्राप्त नहीं है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ही Human Resource Policy और कर्मियों को वेतनमान एवं ग्रेड–पे लागू करने का विचार–रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड द्वारा Human Resource Policy का प्रारूप तैयार कर तकनीकी मंतव्य हेतु भारत सरकार की अनुषंगिक इकाई NHSRC, नई दिल्ली को भेजा गया है। उक्त के क्रम में HR Division, नई दिल्ली से निदेश प्राप्त हुआ कि उनके द्वारा एक Uniform HR Policy बनाया जा रहा है, जिसे जल्द ही राज्यों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसे राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार सुधार करते हुए लागू कर सकता है। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

ज्ञापांक–21/विधान सभा–06–16/2021– 64 (217) स्वा/राँची, दिनांक 06-9-2021
प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1997/वि०स० दिनांक–02.09.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.2021
सरकार के उप सचिव।

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–23

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक चयन हेतु परीक्षा ली गई थी और वर्ष–2019 में परिणाम के पश्चात् चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी; | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक–5974 दिनांक 23.11.2020 के तहत् झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों से नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया था; | उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुतः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 5974 दिनांक 23.11.2020 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया था। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विज्ञापन संख्या–21/2016 के आधार पर गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास एवं अन्य लंबित विषयों के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 1044 दिनांक 18.02.2021 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची के विज्ञापन संख्या 21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्ति पर तत्काल रोक है। अतएव रोक हटने के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। |

05.09.21

सरकार के अवर सचिव।

## झारखण्ड सरकार
### स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–121/2021 1639 रांची, दिनांक 05/09/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.09.21

सरकार के अवर सचिव।

(50)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प.सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-18

| क्रमांक | प्रश्न<br>क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | उत्तर<br>श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि 16 हजार बच्चों पर किए गए एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण काल में करीब दो वर्षों से कुल बंद रहने के कारण 90 प्रतिशत बच्चों के शिक्षण स्तर में उनके व्यवहारिक एवं भाषा कौशल तथा गणित कौशल में भारी गिरावट आने के कारण शैक्षणिक अपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>विभाग के स्तर से विगत वर्ष माह अप्रैल, 2020 से विभिन्न माध्यमों यथा-व्हाट्सप्प समूह, झारखण्ड डीजी स्कूल एप तथा दूरदर्शन एवं रेडियो के माध्यम से विषयवार एवं कक्षावार सामग्री ऑनलाईन शिक्षा के तहत् प्रेषित की जा रही है। उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के लगभग 35 प्रतिशत विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि शिक्षण कार्य से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकांशतः लोग बेरोजगार हो गए है तथा उनके समक्ष जीविका की चुनौती खड़ी हो गई है. | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>विद्यालयों से जुड़े सभी शिक्षक (पारा शिक्षक सहित), अंशकालीन शिक्षक, घंटी आधारित शिक्षक, आई.सी.टी एवं व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े अनुदेशक, कस्तूरबा एवं समर्थ आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियमानुसार वेतन/मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि अभिभावकों द्वारा प्रत्येक बच्चे को डिजिटल शिक्षा माध्याम उपलब्ध ना करापाने की विवशता एवं दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण ड्रॉपआउटर्स की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसके कारण बाल शिक्षा के अधिकार का हनन हुआ है ; | झारखण्ड राज्य का वार्षिक ड्रापऑउट दर-2019-20 एवं 2020-21 में निम्नवत् पाया गया है।<br><br>वर्ष \| 1-5 \| 6-8 \| 1-8 \| 9-10 \| 9-12<br>2019-20 \| 6.19 \| 8.75 \| 7.04 \| 11.97 \| 14.00<br>2020-21 \| 3.49 \| 5.51 \| 4.18 \| 6.68 \| 10.15 |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अन्य राज्यों के तर्ज पर कोविड संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन कराकर उपस्थिति की बाध्याता को खत्म करते हुए पूर्ण रूप से विद्यालयों को खोलने का विचार रखती है, हो तो कब तक, नहीं तो क्यों? | आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या 5275, दिनांक 01.08.2021 के आलोक में राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन दिनांक 05.08.2021 से किया जा रहा है। |

6/3/2022

सरकार के अवर सचिव

Khushbu

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 1774 /राँची, दिनांक 6 / 9 / 2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-1903, दिनांक 30.08.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/9/2021

सरकार के अवर सचिव

Khunthia